

# दूर संचार विधेयक, 2023

## खंडों का क्रम

खंड

### अध्याय 1

#### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

### अध्याय 2

#### प्राधिकार और समनुदेशन की शक्ति

3. प्राधिकार ।
4. स्पेक्ट्रम का समनुदेशन ।
5. पुनः विरचना और सुव्यवस्थीकरण ।
6. प्रौद्योगिकीय रूप से स्पेक्ट्रम का तटस्थ रूप ।
7. स्पेक्ट्रम का अनुकूलतम उपयोग ।
8. मानीटरी और प्रवर्तन तंत्र की स्थापना ।
9. फीस का प्रतिदाय न करना ।

### अध्याय 3

#### दूर संचार नेटवर्क के लिए मार्ग का अधिकार

10. इस अध्याय में उपयोग किए गए पदों की परिभाषा ।
11. लोक संपत्ति में दूर संचार नेटवर्क के लिए मार्ग का अधिकार ।
12. ऐसी संपत्ति, जो धारा 11 के अधीन नहीं आती है, पर दूर संचार नेटवर्क के लिए मार्ग का अधिकार ।
13. मार्ग के अधिकार का अविभेदकारी और गैर-अनन्य अनुदत्त किया जाना ।
14. दूर संचार नेटवर्क का उस संपत्ति, जिस पर वह प्रतिस्थापित है, से सुभिन्न होना ।
15. केन्द्रीय सरकार की सामान्य डक्ट और केबल कोरीडोर स्थापित करने की शक्ति ।
16. दूर संचार नेटवर्क को हटाना, दूसरे स्थान पर ले जाया जाना या उसमें परिवर्तन करना ।
17. सुविधा प्रदाता को सूचना ।
18. इस अध्याय से संबंधित विवाद समाधान ।

### अध्याय 4

#### दूर संचार नेटवर्क के मानक, लोक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षण

19. मानक अधिसूचित करने की शक्ति ।
20. लोक आपात और लोक सुरक्षा के लिए उपबंध ।

(ii)

खंड

21. राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के लिए उपाय ।
22. दूर संचार नेटवर्क और दूर संचार सेवाओं का संरक्षण ।
23. निदेश देने की शक्ति ।

अध्याय 5

### डिजिटल भारत निधि

24. डिजिटल भारत निधि की स्थापना ।
25. भारत की समेकित निधि में राशि जमा करना ।
26. निधि का प्रशासन ।

अध्याय 6

### नवोन्मुख और प्रौद्योगिकी विकास

27. विनियामक सैंड बाक्स ।

अध्याय 7

### उपयोक्ताओं का संरक्षण

28. उपयोक्ताओं के संरक्षण हेतु उपाय ।
29. उपयोगकर्ता के कर्तव्य ।
30. उपयोगकर्ता की शिकायत के निवारण के लिए विवाद समाधान तंत्र ।

अध्याय 8

### कतिपय उल्लंघनों का न्यायनिर्णयन

31. इस अध्याय में प्रयुक्त पदों की परिभाषाएं ।
32. प्राधिकार या समनुदेशन के निबंधन और शर्तों का भंग ।
33. अधिनियम का उल्लंघन ।
34. उल्लंघनों के लिए स्वैच्छिक उपक्रम ।
35. न्यायनिर्णायक अधिकारी ।
36. नामनिर्दिष्ट अपील समिति ।
37. न्यायनिर्णायक अधिकारी और नामनिर्दिष्ट अपील समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ।
38. प्रवर्तन ।
39. धारा 32 से संबंधित मामलों पर अपील ।
40. धारा 33 से संबंधित मामलों पर अपील ।
41. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन ।

अध्याय 9

### अपराध

42. सामान्य उपबंध ।
43. खोज करने की शक्ति ।
44. प्राधिकृत अधिकारियों के लिए जानकारी की आपूर्ति ।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

45. सुरक्षा हितों का सृजन ।
46. किसी जलयान या वायुयान पर रेडियो उपस्कर के प्रचालन के लिए व्यक्ति का प्रमाणन ।
47. अव्यवसायी स्टेशन प्रचालक के लिए प्रमाणन ।
48. उपस्कर के प्रयोग का प्रतिषेध जो दूर संचार को अवरुद्ध करता हो ।
49. ऐसी शास्तियां जिससे अन्य दायित्व प्रभावित नहीं होते हैं ।
50. भारत के बाहर कारित किए जाने वाले किसी अपराध या अतिलंघन के लिए अधिनियम का लागू होना ।
51. सद्भावना में की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
52. अन्य विधियों के साथ संगतता ।
53. अधिनियम का क्रियान्वयन ।
54. प्राधिकृत इकाई के कर्मचारी का साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं होना ।
55. महाद्वीपीय मग्नतट भूमि और अन्नय आर्थिक जोन में अधिकार ।
56. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
57. केंद्रीय सरकार की अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति ।
58. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
59. 1997 के अधिनियम 24 का संशोधन ।

अध्याय 11

निरसन और व्यावृत्तियां

60. कतिपय अधिनियमों का निरसन और व्यावृत्तियां ।
61. विद्यमान नियमों का जारी रहना ।
62. कतिपय अधिनियमों का विधिमान्यकरण और क्षतिपूर्ति ।

पहली अनुसूची

दूसरी अनुसूची

तीसरी अनुसूची



2023 का विधेयक संख्यांक 194

[दि टेलीकम्यूनिकेशन बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

## दूर संचार विधेयक, 2023

दूर संचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और प्रचालन;  
स्पेक्ट्रम के समनुदेशन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन  
करने तथा उससे संसक्त और उससे  
आनुषंगिक विषयों के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह  
अधिनियमित हो :—

### अध्याय 1

#### प्रारंभिक

- 5 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दूर संचार अधिनियम, 2023 है ।  
(2) इसका विस्तार,—  
(i) संपूर्ण भारत पर ; और  
(ii) भारत के बाहर,

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारंभ ।

किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम में यथा उपबंधित किसी अपराध के कारित किए जाने या उसके उल्लंघन पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “नियत दिन” से ऐसा दिन अभिप्रेत है जो धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे ;

(ख) रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल के “समनुदेशन” से किसी रेडियो स्टेशन को विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल का उपयोग करने की अनुज्ञा अभिप्रेत है ;

(ग) “समनुदेशिनी” से धारा 4 के अधीन रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल का समनुदेशन धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) “प्राधिकार” से इस अधिनियम के अधीन—

(i) दूर संचार सेवाएं प्रदान करने ;

(ii) दूर संचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करने ; या

(iii) रेडियो उपस्कर रखने,

के लिए प्रदत्त चाहे किसी भी नाम से ज्ञात अनुज्ञा अभिप्रेत है ;

(ङ) “प्राधिकृत इकाई” से धारा 3 के अधीन प्राधिकार धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(च) “महत्वपूर्ण दूर संचार अवसंरचना” से धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित दूर संचार नेटवर्क अभिप्रेत है ;

(छ) “संदेश” से दूर संचार के माध्यम से भेजा गया कोई हस्ताक्षर, संकेत, लेखन, पाठ, छवि, ध्वनि, वीडियो, डाटा स्ट्रीम, आसूचना या सूचना अभिप्रेत है ;

(ज) “राष्ट्रीय आवृत्ति आबंटन योजना” से स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत है ;

(झ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का पदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ञ) “व्यक्ति” में चाहे किसी भी नाम से ज्ञात या निर्दिष्ट, कोई व्यक्ति कोई कंपनी या संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है ;

(ट) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ठ) “रेडियो उपस्कर” से हर्ट्जिएन या रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने में सक्षम दूर संचार उपस्कर अभिप्रेत है ;

(ड) "रेडियो तरंगों" से किसी कृत्रिम मार्गदर्शन के बिना अंतरिक्ष में प्रसारित आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंगें अभिप्रेत हैं ;

(ढ) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

5

(ण) "स्पेक्ट्रम" से हर्ट्जिएन या रेडियो तरंगों की आवृत्तियों की सीमा अभिप्रेत है ;

(त) "दूर संचार" से तार, रेडियो, ऑप्टिकल या अन्य विद्युत-चुंबकीय प्रणालियों द्वारा किसी संदेश का पारेषण, उत्सर्जन या प्राप्ति, चाहे ऐसे संदेश उनके पारेषण, उत्सर्जन या प्राप्ति के क्रम में किसी भी माध्यम से पुनर्व्यवस्था, गणना या अन्य प्रक्रिया के अधीन हो या नहीं, अभिप्रेत है ;

10

(थ) "दूर संचार उपस्कर" से दूर संचार के लिए प्रयुक्त या प्रयोक्तव्य कोई उपस्कर, साधित्र, उपकरण, युक्ति, रेडियो स्टेशन, रेडियो उपस्कर, सामग्री, यंत्र या उपयोक्ता उपस्कर अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऐसे दूर संचार उपस्कर के साफ्टवेयर और समेकित आसूचना भी सम्मिलित हैं ; और उसमें उपस्कर सम्मिलित नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ;

15

(द) "दूर संचार पहचानकर्ता" से अंकों, वर्णों और प्रतीकों या उनके संयोजन की एक आवली अभिप्रेत है, जिसका उपयोग विशिष्ट रूप से एक उपयोगकर्ता, दूर संचार सेवा, दूर संचार नेटवर्क, दूर संचार नेटवर्क के तत्वों, दूर संचार उपस्कर या प्राधिकृत इकाई की पहचान के लिए किया जाता है ;

20

(घ) "दूर संचार नेटवर्क" से दूर संचार उपस्कर या अवसंरचना की प्रणाली या प्रणालियों की आवली अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित स्थलीय या उपग्रह नेटवर्क या जलमग्न नेटवर्क या ऐसे नेटवर्कों का समुच्चय सम्मिलित है, परंतु उसमें ऐसे दूर संचार उपस्कर सम्मिलित नहीं हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ;

25

(न) "दूर संचार सेवाएं" से दूर संचार के लिए कोई सेवा अभिप्रेत है ;

(प) "उपयोक्ता" से दूर संचार सेवा का उपयोग करने या अनुरोध करने वाला प्राकृतिक या विधिक व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें ऐसी दूर संचार सेवा या दूर संचार नेटवर्क प्रदान करने वाला व्यक्ति सम्मिलित नहीं है ;

## अध्याय 2

30

### प्राधिकार और समनुदेशन की शक्ति

3. (1) कोई व्यक्ति जो—

प्राधिकार ।

(क) दूर संचार सेवाएं प्रदान करने,

(ख) दूर संचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करने ; या

(ग) रेडियो उपस्कर धारण करने,

35 का आशय रखता है, वह केन्द्रीय सरकार से ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अंतर्गत ऐसी फीस या प्रभार भी हैं, जो विहित की जाए, प्राधिकार प्राप्त करेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन नियम बनाते समय भिन्न-भिन्न प्रकार की दूर संचार सेवाओं, दूर संचार नेटवर्क या रेडियो उपस्कर के प्राधिकार के लिए भिन्न-भिन्न निबंधनों और शर्तों का उपबंध कर सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि यह अवधारित करती है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, तो वह उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार की अपेक्षा से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, छूट प्रदान कर सकेगी।

(4) भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन नियत दिन से पूर्व प्रदत्त कोई छूट इस अधिनियम के अधीन जारी रहेगी, जब तक कि केन्द्रीय सरकार अन्यथा अधिसूचित न करे।

(5) कोई प्राधिकृत इकाई, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए कोई विलयन, निर्विलयन या अर्जन या अन्य प्रकार की पुनर्संरचना कर सकेगी और कोई प्राधिकृत इकाई, जो ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में उभरती है, मूल प्राधिकृत इकाई पर लागू ऐसे निबंधनों और शर्तों जिसके अंतर्गत फीस और प्रभार भी है और ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं का पालन करेगी।

(6) दूर संचार सेवाओं या दूर संचार नेटवर्क की बाबत भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन नियत दिन से पूर्व प्रदत्त चाहे किसी भी नाम से ज्ञात अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञा—

(क) जहां एक निश्चित विधिमान्यता अवधि दी गई है, सुसंगत प्राधिकार ऐसी अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञा के अधीन निबंधनों और शर्तों के अधीन और उसमें यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए काम करना जारी रखने के लिए हकदार होगा या सुसंगत प्राधिकार के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित किए जाएं प्रवर्जित होने का हकदार होगा ;

(ख) जहां निश्चित अधिमान्यता अभी नहीं दी गई है, नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों पर काम जारी रखने का हकदार होगा या सुसंगत प्राधिकार के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित किए जाएं प्रवर्जित होने का हकदार होगा।

(7) कोई प्राधिकृत इकाई, जो ऐसी दूर संचार सेवाएं प्रदान करती है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, उस व्यक्ति की जिसे दूर संचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं, किसी सत्यापन योग्य बायोमैट्रिक आधारित पहचान, जैसा विहित किया जाए, के प्रयोग के माध्यम से पहचान करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिसके अंतर्गत फीस और प्रभार, जो विहित किए जाएं, भी हैं, प्राधिकृत इकाईयों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए दूर संचार पहचानकर्ताओं का आबंटन करेगी।

(9) केन्द्रीय सरकार, अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा आबंटित दूर संचार पहचानकर्ताओं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता दी जाती है, का उपयोग करना अनुज्ञात कर सकेगी।



आबंटन योजना अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) कोई व्यक्ति, जो स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का आशय रखता है, उसे केन्द्रीय सरकार से समनुदेशन अपेक्षित होगा ।

5 (3) केन्द्रीय सरकार, स्पेक्ट्रम के ऐसे समनुदेशन के लिए ऐसे निबंधन और शर्तों, जो लागू हो, विहित कर सकेगी जिसके अंतर्गत आवृत्ति सीमा, मूल्य निर्धारण, मूल्य, फीस और प्रभार के लिए पद्धति, संदाय तंत्र, उसके लिए अवधि और प्रक्रिया सम्मिलित है ।

(4) केन्द्रीय सरकार, पहली अनुसूची में सूचीबद्ध इकाईयों के सिवाय, जिनके लिए प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा समनुदेशन किया जाएगा, नीलामी के माध्यम से दूर संचार के लिए स्पेक्ट्रम समनुदेशित करेगी ।

10 स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “प्रशासनिक प्रक्रिया” से नीलामी किए बिना स्पेक्ट्रम का समनुदेशन अभिप्रेत है ;

(ख) “नीलामी” से स्पेक्ट्रम के समनुदेशन के लिए बोली की प्रक्रिया अभिप्रेत है ।

15 (5)(क) केन्द्रीय सरकार, स्पेक्ट्रम के समनुदेशन के लिए, अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची का संशोधन कर सकेगी,—

(i) लोकहित में ;

(ii) सरकारी कृत्यों के निर्वहन के लिए ;

20 (iii) उस दशा में, जहां स्पेक्ट्रम की नीलामी तकनीकी या आर्थिक कारणों से, समनुदेशन की अधिमानी रीति नहीं है ।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(6) केन्द्रीय सरकार, यदि यह अवधारित करे कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, तो वह,—

25 (क) धारा 2 के अधीन समनुदेशन की अपेक्षा से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए ; और

(ख) उपधारा (2) की अपेक्षाओं से विनिर्दिष्ट आवृत्तियों और प्राचलों के भीतर विनिर्दिष्ट उपयोगों को अधिसूचना द्वारा, छूट प्रदान कर सकेगी ।

1885 का 13

1933 का 17

30 (7) भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन नियत दिन से पूर्व अनुदत्त स्पेक्ट्रम के उपयोग के संबंध में कोई छूट इस अधिनियम के अधीन भी तब तक जारी रहेगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाए ।

35 (8) नियत दिन से पूर्व प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से समनुदेशित किसी स्पेक्ट्रम का नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी समनुदेशन के अवसान की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जारी रहेगा जिन पर वह

समनुदेशित किया गया था ।

(9) नियत दिन से पूर्व नीलामी के माध्यम से समनुदेशित, किसी स्पेक्ट्रम का उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर वैध रहना जारी रहेगा, जिन पर वह समनुदेशित किया गया था ।

पुनः विरचना और  
सुव्यवस्थीकरण ।

5. केन्द्रीय सरकार, स्पेक्ट्रम के अधिक दक्ष उपयोग को समर्थ बनाने के लिए धारा 4 के अधीन समनुदेशित किसी आवर्ती रेंज को ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रि-फार्म या सुव्यवस्थित कर सकेगी ।

5

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) “सुव्यवस्थीकरण” से आवर्ती रेंज का पुनः प्रबंधन अभिप्रेत है ;

(ख) “रि-फार्मिंग” से किसी आवर्ती रेंज को उस उपयोग से भिन्न, जिसके लिए उसका विद्यमान समनुदेशिती द्वारा उपयोग किया जा रहा है, किसी उपयोग के लिए पुनः प्रस्तावित करना अभिप्रेत है ।

10

प्रौद्योगिकीय रूप  
से स्पेक्ट्रम का  
तटस्थ रूप ।

6. केन्द्रीय सरकार, स्पेक्ट्रम का ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अंतर्गत यथा विहित लागू फीस और प्रभार सम्मिलित हैं, किसी लोचनीय, स्वतंत्र और प्रौद्योगिकीय रूप से तटस्थ रीति में उपयोग समर्थ कर सकेगी ।

स्पेक्ट्रम का  
अनुकूलतम  
उपयोग ।

7. (1) केन्द्रीय सरकार उपलब्ध स्पेक्ट्रम के अनुकूलतम उपयोग का संवर्धन करने के लिए स्पेक्ट्रम के किसी विशिष्ट भाग, जिसे मूल समनुदेशिती के रूप में ज्ञात निकाय को समनुदेशित किया गया है, को गौण समनुदेशितियों के रूप में ज्ञात एक या अधिक अतिरिक्त निकायों को वहां ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, समनुदेशित कर सकेगी, जहां ऐसा गौण समनुदेशिती मूल समनुदेशिती द्वारा स्पेक्ट्रम के सुसंगत भाग के उपयोग में हानिकर मध्याक्षेप नहीं करता है ।

15

(2) केन्द्रीय सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, संबंधित समनुदेशिती को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अवधारित कर सकेगी कि कोई स्पेक्ट्रम अपर्याप्त कारणों से ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के लिए अनुपयोजित रह गया है, ऐसे समनुदेशन को या ऐसे समनुदेशन के किसी भाग को समाप्त कर सकेगी या स्पेक्ट्रम उपयोजन के संबंध में और निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगी ।

20

25

मानीटरी और  
प्रवर्तन तंत्र की  
स्थापना ।

8. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसा मानीटरी और प्रवर्तन तंत्र स्थापित कर सकेगी, जो वह स्पेक्ट्रम उपयोजन के लिए निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए और समनुदेशित स्पेक्ट्रम के हस्तक्षेप मुक्त उपयोजन के लिए उचित समझे ।

(2) केन्द्रीय सरकार समनुदेशित स्पेक्ट्रम को बांटने, व्यापार करने, पट्टे पर देने और अभ्यर्पित करने को ऐसे निबंधनों और शर्तों, जिनके अंतर्गत लागू फीस या प्रभार हैं, अनुज्ञात कर सकेगी ।

30

फीस का प्रतिदाय  
न करना ।

9. कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या समनुदेशन की बाबत संदत्त किसी फीस या प्रभार के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा, यदि ऐसा प्राधिकार या समनुदेशन निलंबित किया जाता है, कम किया जाता है, प्रतिसंहण किया जाता है या उसमें फेर-फार किया जाता है ।

35

## अध्याय 3

## दूर संचार नेटवर्क के लिए मार्ग का अधिकार

10. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

5 (क) “प्रसुविधा प्रदाता” से केन्द्रीय सरकार या कोई प्राधिकृत अस्तित्व अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या प्राधिकृत निकाय के लिए कार्य करने वाला कोई ठेकेदार या उप-ठेकेदार या अभिकर्ता सम्मिलित है और इसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिती सम्मिलित होंगे ;

(ख) “लोक अस्तित्व” से,—

(i) केन्द्रीय सरकार;

10 (ii) राज्य सरकार;

(iii) स्थानीय प्राधिकारी;

(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानून के अधीन निगमित या स्थापित कोई प्राधिकरण, निकाय, कंपनी या संस्था; या

15 (v) कोई गैर-सरकारी अस्तित्व जिसमें किसी लोक उपयोगिता या लोक उपयोगिताओं के वर्ग जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, का स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन विहित किया गया है ;

(ग) “लोक संपत्ति” से कोई संपत्ति अभिप्रेत है चाहे जंगम हो या स्थावर, जिसके अंतर्गत कोई मशीनरी सम्मिलित है, जो किसी लोक उपयोगिता के स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन हों ।

20 11. (1) कोई प्रसुविधा प्रदाता, किसी लोक अस्तित्व को जिसके स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन कोई लोक संपत्ति विहित है, ऐसी लोक संपत्ति के नीचे, उस पर, उसके साथ, उसमें से, उसमें या उस पर दूर संचार नेटवर्क के लिए मार्ग के अधिकार की अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

25 (2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रसुविधा प्रदाता से किसी आवेदन की प्राप्ति पर लोक अस्तित्व उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों के लिए अनुज्ञा अनुदत्त करेगा, अर्थात् :—

(क) दूर संचार नेटवर्क स्थापित करने की साध्यता का पता लगाने के प्रयोजन के लिए ऐसी संपत्ति के सर्वेक्षण ; या

30 (ख) किसी दूर संचार नेटवर्क को स्थापित करने, प्रचालन करने, अनुरक्षण करने, मरम्मत करने, प्रतिस्थापित करने, बढ़ाने, हटाने या किसी अन्य स्थान पर ले जाने के लिए समय-समय पर ऐसी संपत्ति में प्रवेश कर सकेगा ।

35 (3) लोक अस्तित्व उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा शीघ्र रीति में और ऐसी समय सीमा के भीतर जो विहित की जाए और ऐसे प्रशासनिक व्यय की शर्त के अधीन रहते हुए रहेगा जो विहित किया जाए और मार्ग अधिकार के लिए प्रतिकर ऐसी रकम से अधिक नहीं होगा जो विहित की जाए ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन, अस्वीकृति वित्तीय आधार, जिन्हें

इस अध्याय में उपयोग किए गए पदों की परिभाषा ।

लोक संपत्ति में दूर संचार नेटवर्क के लिए मार्ग का अधिकार ।

अभिलिखित किया जाएगा, के आधार पर होगी ।

(5) प्रसुविधा प्रदाता लोक संपत्ति को यथा संभव कम से कम नुकसान पहुंचाएगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसी लोक संपत्ति पर संक्रियाओं की कृत्यशीलता और सततः तब प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो जब कोई ऐसी संक्रिया की जाए जिसके लिए उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त की गई है ।

5

(6) यदि संपत्ति को कोई नुकसान कारित किया जाता है तो प्रसुविधा प्रदाता लोक अस्तित्व के विकल्प पर या तो,—

(क) संपत्ति को उसी अवस्था में बहाल करेगा जिसमें वह ऐसी संक्रियाएं करने से पूर्व विद्यमान थी ; या

(ख) ऐसे नुकसान के लिए परस्पर सहमत प्रतिकर का संदाय करेगा ।

10

(7) इस धारा के उपबंध किसी लोक संपत्ति को, जो ऐसी परियोजनाओं या परियोजनाओं के वर्ग, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए, लागू होंगे, जिनकी बाबत उपधारा (1) के अधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए छूट, संविदा या अनुज्ञा के लिए आवेदन किए जाएंगे ।

ऐसी संपत्ति, जो धारा 11 के अधीन नहीं आती है, पर दूर संचार नेटवर्क के लिए मार्ग का अधिकार ।

12. (1) कोई प्रसुविधा प्रदाता उस व्यक्ति को, जिसमें धारा 11 के अधीन न आने वाली संपत्ति विहित है, के नीचे, उस पर, उसके साथ, उसमें से दूर संचार नेटवर्क के लिए मार्ग के अधिकार की ईप्सा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

15

(2) प्रसुविधा प्रदाता से आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन प्राप्त करने वाला व्यक्ति परस्पर रूप से सहमत प्रतिफल को विनिर्दिष्ट करते हुए, निम्नलिखित के लिए करार कर सकेगा,—

20

(क) दूर संचार नेटवर्क स्थापित करने की साध्यता का पता लगाने के प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण, जो अपेक्षित हो ; या

(ख) प्रसुविधा प्रदाता द्वारा किसी दूर संचार नेटवर्क को स्थापित करने, प्रचालन करने, अनुरक्षण करने, मरम्मत करने, प्रतिस्थापित करने, बढ़ाने, हटाने या किसी अन्य स्थान पर ले जाने के लिए समय-समय पर ऐसी संपत्ति में प्रवेश कर सकेगा ।

25

(3) प्रसुविधा प्रदाता कोई भी संक्रिया, जिसके लिए उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त की गई है, करते समय संपत्ति को कम से कम संभव नुकसान पहुंचाएगा ।

(4) संपत्ति को कोई नुकसान होने की दशा में प्रसुविधा प्रदाता संपत्ति को उसी अवस्था में बहाल करेगा जिसमें वह ऐसी संक्रियाएं करने से पूर्व विद्यमान थी, ऐसा करने में असफल रहने पर उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त करने वाला व्यक्ति, किसी ऐसे नुकसान के लिए, पारस्परिक रूप से सहमत प्रतिकर का हकदार होगा ।

30

(5) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा किसी प्रसुविधा प्रदाता द्वारा दूर संचार नेटवर्क के लिए प्रवेश, सर्वेक्षण, प्रचालन, अनुरक्षण, मरम्मत, प्रतिस्थापित क्रिया किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत नोटिस की अवधि, नोटिस जारी करने की रीति, संपत्ति के स्वामी या अधिभोगी द्वारा आक्षेपों को शासित करने के लिए ढांचा, वह रीति जिसमें ऐसे आक्षेपों का समाधान किया जाएगा और

35

नुकसान के लिए संदेय प्रतिकर से संबंधित विषय भी है, उपबंध कर सकेगी।

5 (6) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन अनुरोध किए गए मार्ग के अधिकार को प्रदान करने में असफल रहता है और केन्द्रीय सरकार अवधारित करती है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है तो वह स्वयं या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य प्राधिकारी के माध्यम से अवधारित करेगी कि ऐसे प्रसुविधा प्रदाता को ऐसा दूर संचार नेटवर्क स्थापित करने, प्रचालित करने, अनुरक्षण करने के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अंतर्गत मार्ग के अधिकारी के लिए प्रभार और संपत्ति को नुकसान के लिए प्रतिकर, यदि कोई हों, जिसका ऐसे व्यक्ति के द्वारा संदाय किया जाना है, जो विहित की जाए, मार्ग का अधिकारी अनुज्ञात किया जाएगा।

10

13. धारा 11 या धारा 12 के अधीन मार्ग का अधिकार प्रदान करने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसुविधा प्रदाता को मार्ग का अधिकार अविभेदकारी रीति और जहां तक व्यवहार्य हों, गैर-अनन्य आधार पर अनुदत्त किया जाए।

मार्ग के अधिकार का अविभेदकारी और गैर-अनन्य अनुदत्त किया जाना।

15 (14) (1) प्रसुविधा प्रदाता को उस संपत्ति पर, सिवाय धारा 11 या धारा 12 में उपबंधित संपत्ति के उपयोग के अधिकार के, कोई अधिकार, हक या हित नहीं होगा जिस पर वह स्थापित है।

दूर संचार नेटवर्क का उस संपत्ति, जिस पर वह प्रतिस्थापित है, से सुभिन्न होना।

(2) किसी संपत्ति पर प्रतिष्ठापित दूर संचार नेटवर्क ऐसी संपत्ति पर किसी दावे, विल्लंगमों, परिसमापन या सदृश के अधीन नहीं होगा।

20 (3) किसी संपत्ति पर प्रतिष्ठापित दूर संचार नेटवर्क को ऐसी संपत्ति का भाग नहीं समझा जाएगा जिसके अंतर्गत उस संपत्ति से संबंधित किसी संव्यवहार या संपत्ति कर, उद्ग्रहण, उपकर, फीस, शुल्क, जो उस संपत्ति को लागू हों, के प्रयोजन सम्मिलित है।

2.5 (4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय किसी लोक अस्तित्व को किसी प्राधिकृत अस्तित्व द्वारा स्थापित किसी दूर संचार नेटवर्क को बंद करने, उस तक पहुंच रोकने या बलपूर्वक बंद करने का सिवाय तब जब ऐसी कार्रवाई किसी प्राकृतिक आपदा या सार्वजनिक आकस्मिकता के लिए आवश्यक हों, अधिकार नहीं होगा।

30 15. (1) केन्द्रीय सरकार अवसंरचना परियोजनाओं या अवसंरचना परियोजनाओं के वर्ग को चाहे लोक अस्तित्व स्वयं विकसित किए जा रहे हों या किसी पब्लिक प्राईवेट भागीदारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिनके लिए दूर संचार नेटवर्क प्रतिष्ठापित करने के लिए सामान्य डक्ट या कांड्यूट या केबल कोरीडोरों की स्थापना की अपेक्षा हों, अधिसूचित कर सकेगी।

केन्द्रीय सरकार की सामान्य डक्ट और केबल कोरीडोर स्थापित करने की शक्ति।

35 (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दूर संचार नेटवर्क, प्रसुविधा प्रदाताओं को ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो विहित की जाए, जिसके अंतर्गत फीस और प्रभार हैं, के अधीन रहते हुए, खुली पहुंच के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

दूर संचार नेटवर्क को हटाना, दूसरे स्थान पर ले जाया जाना या उसमें परिवर्तन करना ।

16. (1) जब धारा 11 या धारा 12 के अधीन किसी प्रसुविधा प्रदाता द्वारा किसी दूर संचार नेटवर्क को किसी संपत्ति के नीचे, ऊपर, के साथ, में या उस पर रखा गया है और ऐसा करने के लिए हकदार कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति से ऐसी रीति में व्यौहार करने की वांछा करता है जिससे ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है कि दूर संचार नेटवर्क को उसके किसी अन्य भाग से हटा दिया जाना चाहिए या भाग पर ले जाया जाना चाहिए या किसी उच्चतर या निम्नतर स्तर पर ले जाया जाना चाहिए और उसके रूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए तो वह प्रसुविधा प्रदाता से दूर संचार नेटवर्क को हटाने, किसी और स्थान पर ले जाने या परिवर्तन करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

5

(2) यदि धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन या धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिकर का संदाय किया गया है तो ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा करते समय प्रसुविधा प्रदाता को हटाए जाने, किसी स्थान पर ले जाए जाने या परिवर्तन करने के अपेक्षित व्यय को ऐसे निबंधन पर, जो पारस्परिक रूप से सहमत हों, चुकाएगा ।

10

(3) यदि इस अध्याय के अधीन कोई विवाद उद्भूत होता है तो मामले का धारा 18 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अवधारण किया जाएगा ।

15

(4) यदि प्रसुविधा प्रदाता अध्यपेक्षा का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी अध्यपेक्षा करने वाला व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अधिकारिता के भीतर संपत्ति अवस्थित है, को दूर संचार नेटवर्क को कहीं ओर ले जाए जाने या परिवर्तित करने का आदेश करने का आवेदन कर सकेगा ।

(5) आवेदन प्राप्त करने वाला जिला मजिस्ट्रेट अपने स्वविवेक पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह उपयुक्त समझे, दूर संचार नेटवर्क के ऐसे किसी और स्थान पर ले जाए जाने या परिवर्तित करने जिसके अंतर्गत दूर संचार नेटवर्क का संपत्ति के किसी अन्य भाग पर ले जाया जाना या किसी उच्चतर या निम्नतर स्तर पर ले जाया जाना या उसके रूप में परिवर्तन करना सम्मिलित है और इस प्रकार किया गया आदेश अंतिम होगा ।

20

25

सुविधा प्रदाता को सूचना ।

17. (1) कोई व्यक्ति, जो अपने किसी अधिकार का प्रयोग करने में अपनी संपत्ति को इस प्रकार बरतना चाहता है जिससे किसी दूर संचार नेटवर्क, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सम्यक्तः स्थापित किया गया है, को नुकसान होने या दूर संचार सेवाओं में विघ्न या हस्तक्षेप होने की संभाव्यता हो, तो ऐसे अधिकार के प्रयोग करने के अपने आशय की ऐसी अवधि और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सुविधा प्रदाता को या केंद्रीय सरकार या ऐसे किसी प्राधिकारी को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, पूर्व सूचना देगा ।

30

(2) सुविधा प्रदाता ऐसे दूर संचार नेटवर्क और रक्षोपाय, जो किए गए हों, ऐसी समयसीमा के भीतर, जो विहित की जाए, के ब्यौरों सहित ऐसी सूचना का प्रति उत्तर देगा ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक क्षति के आसन्न खतरे से बचाने के सद्भावपूर्ण आशय से किसी संपत्ति से उस प्रकार बरतता है, जो उक्त धारा में निर्दिष्ट है, उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उक्त धारा के उपबंधों का अनुवर्तन कर दिया है ।

35

5 (4) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अनुबंधों की अनुपालना करने में विफल रहता है, जिससे किसी दूर संचार नेटवर्क को नुकसान होने या दूर संचार सेवाओं में विघ्न या हस्तक्षेप होने की संभाव्यता हो तो जिला मजिस्ट्रेट सुविधा प्रदाता के आवेदन पर ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकेगा कि वह उस संपत्ति से उस प्रकार बरतने से उसके आदेश की तारीख से एक मास से अनधिक की कालावधि तक प्रविरत रहे और उस संपत्ति के बारे में तुरंत ऐसी कार्यवाही करे जो उस जिला मजिस्ट्रेट की राय में ऐसी कालावधि के दौरान ऐसे नुकसान, विघ्न या हस्तक्षेप का उपचार या निवारण करने के लिए आवश्यक हो।

(5) यदि नुकसानों से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह विषय धारा 18 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा।

10 18. (1) जिला मजिस्ट्रेट या केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता के भीतर संपत्ति अवस्थित है, को इस धारा की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट विवादों के सिवाय, इस अध्याय के अधीन किन्हीं विवादों का समाधान करने की अनन्य शक्तियां होंगी।

इस अध्याय से संबंधित विवाद समाधान।

15 (2) यदि कोई विवाद धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन प्रतिकर, धारा 12 की उपधारा (2) और उपधारा (4), धारा 17 की उपधारा (5) से संबंधित उत्पन्न होता है तो विवाद करने वाले किसी भी पक्षकार द्वारा उस जिला न्यायाधीश को, जिसकी अधिकारिता के भीतर संपत्ति अवस्थित है, आवेदन के प्रयोजन से किए गए आवेदन का उसके द्वारा अवधारण किया जाएगा।

20 (3) इस धारा के अधीन किसी जिला मजिस्ट्रेट या जिला न्यायाधीश द्वारा किसी विवाद का प्रत्येक अवधारण अंतिम होगा।

(4) उपधारा (3) की किसी बात का किसी सुविधा प्रदाता द्वारा संदत्त किसी प्रतिकर के संपूर्ण या किसी भाग को वाद द्वारा उस व्यक्ति से, जिसने उसे प्राप्त किया है, किसी व्यक्ति के वसूली के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

#### अध्याय 4

### 25 दूर संचार नेटवर्क के मानक, लोक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षण

19. केंद्रीय सरकार निम्नलिखित के संबंध में मानक और अनुरूप मूल्यांकन उपाय अधिसूचित कर सकेगा,—

मानक अधिसूचित करने की शक्ति।

- 30 (क) दूर संचार उपस्कर, दूर संचार पहचान कारक, और दूर संचार नेटवर्क ;
- (ख) समय-समय पर भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किन्हीं नियमों के अनुरूप दूर संचार सेवाएं ;
- (ग) दूर संचार उपस्करों का विनिर्माण, आयात, वितरण और विक्रय ;
- (घ) दूर संचार सुरक्षा, जिसके अंतर्गत दूर संचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्कों में पहचान, विश्लेषण और प्रवेशन का निवारण भी सम्मिलित है ;
- (ङ) दूर संचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्कों के साइबर सुरक्षा ; और
- 35 (च) दूर संचार में गूढ़लेखन और डाटा प्रक्रमण।

लोक आपात और  
लोक सुरक्षा के  
लिए उपबंध ।

20. (1) किसी लोक आपात के होने पर, जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन भी है या लोकहित में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या इस निमित्त केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, उस दशा में जब उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो अधिसूचना द्वारा,—

(क) किसी प्राधिकृत इकाई से दूर संचार सेवाओं या दूर संचार नेटवर्क का अस्थायी कब्जा ले सकेगा ; या 5

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित तंत्र उपलब्ध कराना कि लोकापात के दौरान किसी उपयोक्ता को या उपयोक्ताओं के समूह को, जो प्रति उत्तर के लिए प्राधिकृत हों और वसूली के लिए संदेश पूर्विकता के आधार पर भेजे जाएं ;

(2) किसी लोक आपात के होने पर या लोक सुरक्षा के हित में, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, उस दशा में जब उसका यह समाधान हो जाता है भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की रक्षा और सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हितों में अथवा किसी अपराध के किए जाने के उद्दीपन के निवारण के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, ऐसी प्रक्रिया और सुरक्षापायों के अध्यक्षीन, जो विहित किए जाएं, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा निम्नलिखित निदेश दे सकेगा,— 10

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को या उसके द्वारा या किसी विशिष्ट विषय से संबंधित कोई संदेश या संदेशों का कोई वर्ग, जो किसी दूर संचार सेवा या दूर संचार नेटवर्क द्वारा पारेषणार्थ लाया गया है या पारेषित या प्राप्त हुआ है, पारेषित नहीं किया जाएगा या अंतरुद्ध या निरुद्ध किया जाएगा या आदेश देने वाली सरकार या आदेश में वर्णित किसी अधिकारी को प्रकट किया जाएगा ; या 20

(ख) कोई दूर संचार सेवा या दूर संचार सेवाओं के वर्ग को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से दूर संचार उपस्कर या दूर संचार उपस्करों के वर्ग से या किसी विशिष्ट विषय से संबंधित संदेश को किसी दूर संचार सेवा या दूर संचार नेटवर्क से ले गए या ले जाए गए संदेश को निलंबित किया जाएगा । 25

(3) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को प्रत्याशित संवाददाताओं के वे-प्रेस संदेश, जो भारत में प्रकाशित किए जाने के लिए आशयित हैं, तब तक अंतरुद्ध या निरुद्ध नहीं किए जाएंगे जब तक उनका पारेषण उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध न किया गया हो । 30

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कोई कार्रवाई ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, होगी ।

राष्ट्रीय सुरक्षा  
आदि के लिए  
उपाय ।

21. युद्ध की दशा में, केंद्रीय सरकार उस दशा में जब उसका यह समाधान हो जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों ऐसे उपाय, जो उस मामले की परिस्थितियों के लिए आवश्यक हों, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में निदेश जारी करना भी है, अर्थात् :— 35

(क) दूर संचार उपस्कर, दूर संचार सेवाएं, दूर संचार नेटवर्क और दूर संचार



पहचानकारक का उपयोग ;

(ख) दूर संचार उपस्कर के विनिर्माण, आयात और वितरण को लागू मानक ;

(ग) प्राधिकृत इकाइयों या समनुदेशितियों द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले मानक ;

5 (घ) केवल विश्वस्त स्रोतों से दूर संचार उपस्कर और दूर संचार सेवाओं का उपापन ;

(ङ) ऐसे देशों या व्यक्ति, जो अधिसूचित किए जाएं, से विनिर्दिष्ट दूर संचार उपस्कर और दूर संचार सेवाओं का निलंबन, हटाना या उपयोग को प्रतिषिद्ध करना ; या

10 (च) सरकार के किसी दूर संचार सेवा या दूर संचार नेटवर्क या ऐसी दूर संचार सेवाओं के साथ संबंधित उसके भाग पर नियंत्रण और उसका प्रबंधन या उसका प्रचालन निलंबन या उसका प्रबंधन करने हेतु सरकार के किसी प्राधिकारी को निरस्त करना ।

15 22. (1) केंद्रीय सरकार, दूर संचार नेटवर्कों और दूर संचार सेवाओं को सुरक्षित करने के उपायों और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी ।

(2) इन उपायों में संग्रहण, विश्लेषण और यातायात डाटा का प्रसार, जिसे दूर संचार नेटवर्कों में सृजित, पारेषित, प्राप्त या भांडागारित किया जाए ।

20 स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “यातायात डाटा” पद से दूर संचार नेटवर्कों में सृजित, पारेषित, प्राप्त या भांडागारित कोई डाटा अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत दूर संचार में प्रकार, राउटिंग, अवधि या समय से संबंधित आंकड़ा भी अभिप्रेत है ।

(3) केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी दूर संचार नेटवर्क या उसके भाग को महत्वपूर्ण दूर संचार अवसंरचना को जिसके विच्छेद से राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक, लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर दुर्बल प्रभाव होगा ।

25 (4) केंद्रीय सरकार, ऐसे महत्वपूर्ण दूर संचार अवसंरचना के कार्यान्वयन के लिए मानक, सुरक्षा उपाय और उन्नयन अपेक्षाएं और प्रक्रियाओं का उपबंध करने हेतु नियम बना सकेगी ।

23. यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो तो केंद्रीय सरकार किसी प्राधिकृत इकाई को उसके दूर संचार सेवाओं या दूर संचार नेटवर्क को विशिष्ट संदेश पारेषित करने की ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, निदेश दे सकेगी ।

दूर संचार नेटवर्क और दूर संचार सेवाओं का संरक्षण ।

निदेश देने की शक्ति ।

### अध्याय 5

### डिजिटल भारत निधि

1885 का 13

24. (1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन सृजित सर्वव्यापी सेवा बाध्यता निधि, नियत दिन से ही “डिजिटल भारत निधि” केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन किए जाने के लिए उपयोग की जाएगी ।

डिजिटल भारत निधि की स्थापना ।

35

(2) डिजिटल भारत निधि को देय धन की कोई राशि, जो धारा 3 के प्राधिकार के

अनुसरण में संदत है, वह डिजिटल भारत निधि को जमा की जाएगी ।

(3) डिजिटल भारत निधि में जमा अतिशेष वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होगा ।

(4) सर्वव्यापी सेवा बाध्यता को नियत दिन के पूर्व अनुदत्त अनुज्ञप्तियों के अधीन संदेय सभी रकम डिजिटल भारत निधि को संदेय रकम मानी जाएगी ।

भारत की  
समेकित निधि में  
राशि जमा  
करना ।

25. धारा 24 के अधीन डिजिटल भारत निधि के लिए प्राप्त धन की राशियां पहले भारत की समेकित निधि में जमा की जाएंगी और केंद्रीय सरकार, यदि संसद् इस निमित्त विधि द्वारा किए गए विनियोग द्वारा ऐसा उपबंध करे, तो जमा ऐसे आगमों को समय-समय पर प्रयोग किए जाने के लिए डिजिटल भारत निधि में जमा करेगी, जो अनन्य रूप से निम्नलिखित एक या सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होगी, अर्थात् :—

(क) सर्वव्यापी सेवा समर्थन को पहुंच से दूर ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं के माध्यम से पहुंच सुकर बनाना और परिदत्त करना ;

(ख) दूर संचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का शोध और विकास करने में सहयोग करना ;

(ग) इस धारा में खंड (क) के अधीन सेवा के उपबंधों हेतु महत्वकांक्षी परियोजनाओं, परामर्श संबंधी सहायता और सलाहकार सहयोग में सहायता करना ; और

(घ) दूर संचार सेवाओं, प्रौद्योगिकी और उत्पादों के प्रारंभ में सहयोग करना ।

निधि का  
प्रशासन ।

26. डिजिटल भारत निधि ऐसी रीति में प्रशासित की जाएगी, जो विहित की जाए ।

#### अध्याय 6

### नवोन्मुख और प्रौद्योगिकी विकास

विनियामक सैंड  
बाक्स ।

27. केंद्रीय सरकार, दूर संचार में नवोन्मुख और प्रौद्योगिकी विकास के प्रोत्साहन और सुकर बनाने के प्रयोजनों हेतु एक या अधिक विनियामक सैंड बाक्स, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के लिए, जो विहित किए जाएं, बना सकेगी ।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनियामक सैंड बाक्स” पद से ऐसा सीधा पर्यावरण परीक्षण निर्दिष्ट है, जहां ऐसे नए उत्पाद, सेवा, प्रक्रमण और कारबार नमूने, जो इस अधिनियम के उपबंधों से कतिपय छूटों सहित, विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए सीमित उपयोक्ताओं पर लगाए जाएं ।

#### अध्याय 7

### उपयोक्ताओं का संरक्षण

उपयोक्ताओं के  
संरक्षण हेतु  
उपाय ।

28. (1) इस धारा के प्रयोजन हेतु, “विनिर्दिष्ट संदेश” से ऐसा कोई संदेश, जो माल, सेवाओं, संपत्ति हित, कारबार अवसर, नियोजन अवसर या विनिधान अवसर हेतु प्रस्ताव, विज्ञापन या संवर्धन करने हेतु है, चाहे निम्नलिखित हो या न हो,—

(क) माल, सेवा, हित या अवसर वास्तव में हैं ; या

(ख) ऐसे माल, सेवा, संपत्ति, अर्जित हित या लिया गया अवसर विधिपूर्ण हैं ।

(2) केंद्रीय सरकार, समय-समय पर भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिसूचित किन्हीं विनियमों के अनुरूप उपयोक्ताओं के संरक्षण हेतु उपायों के लिए नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित उपाय, भी हैं जैसे—

5 (क) कतिपय विनिर्दिष्ट संदेश या विनिर्दिष्ट संदेशों के वर्ग को प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति ;

(ख) एक या एक से अधिक को रजिस्ट्रों की तैयारी और रखरखाव, जिसे “परेशान न करें” रजिस्टर कहा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति के बिना विनिर्दिष्ट संदेश या विनिर्दिष्ट संदेशों का वर्ग प्राप्त नहीं हुआ है ; या

10 (ग) उपयोगकर्ताओं को इस धारा के उल्लंघन में प्राप्त किसी भी मालवेयर या विनिर्दिष्ट संदेश को समर्थ बनाने के लिए क्रिया विधि ।

(3) दूर संचार सेवाएं प्रदान करने वाली एक प्राधिकृत इकाई उपयोगकर्ताओं को दूर-संचार सेवा से संबंधित किसी भी शिकायत को रजिस्टर करने के लिए और ऐसी शिकायत का निवारण करने में सक्षम बनाने के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक 15 ऑनलाइन क्रियाविधि स्थापित करेगी ।

29. कोई भी उपयोगकर्ता,—

उपयोगकर्ता के कर्तव्य ।

(क) दूर संचार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी पहचान स्थापित करते समय कोई गलत विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा, किसी महत्वपूर्ण जानकारी को नहीं छिपाएगा या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण नहीं करेगा ।

20 (ख) इस अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी को साझा करने में विफल नहीं होगा ।

30. (1) केन्द्रीय सरकार, उपयोगकर्ताओं और दूर संचार सेवाएं प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाइयों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक या अधिक ऑनलाइन विवाद सामाधान क्रियाविधि स्थापित या अनुमोदित कर सकेगी ।

उपयोगकर्ता की शिकायत के निवारण के लिए विवाद समाधान तंत्र ।

25 (2) दूर संचार सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक प्राधिकृत इकाई, उपधारा (1) के अधीन स्थापित विवाद समाधान क्रियाविधि में भाग लेगी, और ऐसी क्रियाविधि भागीदारी के ऐसे निबंधन और शर्तों का पालन करेगी, जैसा विहित किया जाए ।

2019 का 35

(3) यह धारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी ।

33

## अध्याय 8

### कतिपय उल्लंघनों का न्यायनिर्णयन

31. इस अध्याय के प्रयोजन के लिए,—

इस अध्याय में प्रयुक्त पदों की परिभाषाएं ।

(क) “न्यायनिर्णायक अधिकारी” से धारा 35 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ; और

35 (ख) “अभिहित अपील समिति” से धारा 36 के अधीन नियुक्त समिति अभिप्रेत है ।

प्राधिकार या  
समनुदेशन के  
निबंधन और शर्तों  
का भंग ।

32. (1) इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत प्राधिकार या समनुदेशन के किसी निबंधन और शर्तों के भंग के मामले में, न्यायनिर्णायक अधिकारी, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन जांच के अनुसरण में,—

(क) निम्नलिखित में से, एक या दोनों के संबंध में लिखित में कोई आदेश पारित करेगा, अर्थात् :—

(i) ऐसे प्राधिकृत इकाई, या समनुदेशिनी को ऐसे उल्लंघन को रोकने या अनुपालन करने के लिए कोई भी कार्य या चीज करने से निवारण करने का निदेश देना ;

(ii) दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सिविल शास्तियां अधिरोपित करना ; और

(ख) प्राधिकार या समनुदेशन की अवधि के निलंबन, प्रतिसंहरण या कम करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए सिफारिश करना ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी की सिफारिशों पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्राधिकार या समनुदेशन को, यथास्थिति, निलंबित, कम या प्रतिसंहत कर सकेगी, जिसे, यदि सारवान् उल्लंघन का केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप से उपचार कर दिया जाता है तो इसे उल्टा जा सकेगा ।

(3) इस धारा या धारा 33 के अधीन दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को निम्नलिखित कारकों पर उचित ध्यान देना होगा, अर्थात् :—

(क) उल्लंघन के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, उल्लंघन की प्रकृति, गंभीरता और अवधि ;

(ख) ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या, और उनके द्वारा होने वाले नुकसान का स्तर ;

(ग) उल्लंघन का जानबूझकर या लापरवाही चरित्र ;

(घ) उल्लंघन के दोहराव की प्रकृति ;

(ङ) उल्लंघन को कम करने के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई, जिसमें धारा 34 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन स्वैच्छिक उपक्रम प्रदान करना शामिल है ;

(च) केन्द्रीय सरकार को हुई राजस्व हानि ;

(छ) मामले की परिस्थितियों से संबंधित कोई भी उत्तेजक कारक, जैसे अनुपातहीन लाभ या अनुचित लाभ की रकम, जहां भी मात्रात्मक हो, उल्लंघन के परिणाम के रूप में बनाया गया हो ; और

(ज) मामले की परिस्थितियों से संबंधित सुसंगत कोई भी शमन कारक, जैसे उल्लंघन के समय पर परिशोधन, या उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाली हानि से बचने के लिए उठाए गए कदम ।

33. (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी, तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, इस अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में, ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, प्राप्त किसी शिकायत की प्राप्ति पर, या स्वतः, संज्ञान लेकर इस अध्याय के उपबंधों के अधीन जांच करेगा, इस तरह का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा संदेय, तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रकम तक के सिविल शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए, लिखित रूप में आदेश पारित करेगा।

अधिनियम का उल्लंघन।

(2) तीसरी अनुसूची के उपबंध, दुष्प्रेरण या ऐसे उल्लंघन कारित करने का प्रयास करने, या षडयंत्र कारित करने, जैसा वे ऐसे उल्लंघन पर लागू होते हैं, लागू होंगे।

34. (1) धारा 32 के अधीन या तीसरी अनुसूची की क्रम संख्या 4 के अधीन यथा उपबंधित उल्लंघन करने वाली कोई भी प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिती, ऐसे उल्लंघन के अवधारण की प्रक्रिया की किसी भी सूचना या प्रारंभ से पूर्व न्यायनिर्णायक अधिकारी को ऐसे उल्लंघन को प्रकट करते हुए और ऐसे उल्लंघन को कम करने के लिए किए गए या उठाए जाने वाले उपायों का स्वैच्छिक उपक्रम प्रस्तुत करेगा।

उल्लंघनों के लिए स्वैच्छिक उपक्रम।

(2) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन दिए गए स्वैच्छिक उपक्रम की स्वीकृति, इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों पर बार का गठन करेगी।

(3) जहां न्यायनिर्णायक अधिकारी को यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि धारा 32 या तीसरी अनुसूची की क्रम संख्या 4 के अधीन यथा उपबंधित उल्लंघन हुआ है, तो वह सुसंगत धारा के अधीन संबंधित प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिती को नोटिस देगा।

(4) प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिती, उपधारा (3) के अधीन सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय, ऐसे उल्लंघन के संबंध में प्रस्तावित शमन उपायों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक स्वैच्छिक उपक्रम प्रस्तुत करेगा।

(5) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत स्वैच्छिक उपक्रम की स्वीकृति को शमन उपाय के रूप में जाना जाएगा और धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (क) या तीसरी अनुसूची की क्रम संख्या 4 के अधीन सिविल शास्ति के निर्धारण के प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा।

(6) इस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन स्वैच्छिक उपक्रम, विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिर्दिष्ट कार्रवाई करने का उपक्रम ; विनिर्दिष्ट कार्रवाई को करने से विरत रहने का उपक्रम ; और स्वैच्छिक उपक्रम को प्रचारित करने का उपक्रम शामिल हो सकेगा।

(7) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन स्वैच्छिक उपक्रम को स्वीकार कर सकेगा या स्वैच्छिक उपक्रम प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिती के करार के साथ, ऐसे स्वैच्छिक उपक्रम में शामिल निबंधन को परिवर्तित कर सकेगा।

(8) जब स्वैच्छिक उपक्रम प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिती, ऐसे उपक्रमों की किसी शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी, ऐसे प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्,

दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में यथा लागू, के अधीन विनिर्दिष्ट सिविल शास्त्रि के अधिरोपण को आगे बढ़ा सकेगा।

न्यायनिर्णायक  
अधिकारी।

35. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी को, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने के लिए एक या अधिक न्यायनिर्णयन अधिकारियों को नियुक्त करेगी।

5

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, जांच करने के पश्चात्, धारा 32 या धारा 33 के उपबंधों के अनुसार ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

नामनिर्दिष्ट  
अपील समिति।

36. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को, जो अपर सचिव के पद से नीचे का न हो, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने के लिए एक या अधिक न्यायनिर्दिष्ट अपील समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जिसे धारा 32 की उपधारा (1) या धारा 33 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील कर सकेगा।

10

(2) व्यथित व्यक्ति द्वारा, उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, फाइल की जाएगी।

15

न्यायनिर्णायक  
अधिकारी और  
नामनिर्दिष्ट  
अपील समिति  
द्वारा अनुसरित  
की जाने वाली  
प्रक्रिया।

37. (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी और नामनिर्दिष्ट अपील समिति की कार्यप्रणाली, जहां तक संभव हो, डिजाइन द्वारा डिजिटल होगी और वे डिजिटल कार्यालयों के रूप में कार्य करेंगे तथा ऐसे तकनीकी विधिक उपायों को, जो विहित किए जाएं, अभिनियोजित करेंगे, जो उसकी कार्यप्रणाली के लिए आनलाइन प्रक्रिया को सक्षम बनाएगी।

20

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी और नामनिर्दिष्ट अपील समिति के पास सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होंगी, और इसके समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएंगी।

1860 का 45

प्रवर्तन।

38. न्यायनिर्णायक अधिकारी या नामनिर्दिष्ट अपील समिति द्वारा दिया गया कोई आदेश उसी रीति में निष्पादन योग्य होगा जैसे कि वह सिविल न्यायालय की डिक्री हो; और ऐसे आदेश को धारा 36 और धारा 39 में यथा उपबंधित ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील करने के लिए अनुमति, दी गई अवधि की समाप्ति पर इस धारा के अधीन अंतिम डिक्री मानी जाएगी।

25

धारा 32 से  
संबंधित मामलों  
पर अपील।

39. कोई व्यक्ति जो धारा 36 के अधीन नामनिर्दिष्ट अपील समिति के आदेश से व्यथित है, जहां तक इसका संबंध धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन मामलों से है, या धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेश से है, इसकी अपील भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 के अधीन गठित दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण में उस तारीख से जिसको ऐसे प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिनी द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त हुई है, से तीस दिन की अवधि के भीतर अपील की जा सकेगी।

30

1997 का 24

धारा 33 से  
संबंधित मामलों  
पर अपील।

40. धारा 36 के अधीन नामनिर्दिष्ट अपील समिति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, जहां तक इसका संबंध धारा 33 के अधीन मामलों से संबंधित है की अपील

35

मामले पर अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय में अपील कर सकेगा ।

- 5 41. किसी सिविल न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे न्यायनिर्णायक अधिकारी, नामनिर्दिष्ट अपील समिति, केन्द्रीय सरकार या दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण, इस अध्याय के अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन ।

## अध्याय 9

### अपराध

- 10 42. (1) जो कोई धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन बिना प्राधिकार के दूर संचार नेटवर्क स्थापित करता है या दूर संचार सेवाएं प्रदान करता है या संकटपूर्ण दूर संचार की अवसंरचना को नुकसान पहुंचाता है तो वह ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो दो करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

सामान्य उपबंध ।

(2) जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रतिरूपण के माध्यम से—

- 15 (क) किसी दूर संचार नेटवर्क या किसी प्राधिकृत इकाई के डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है या किसी अनधिकृत इकाई के डेटा को स्थानान्तरित करता है ; या

(ख) किसी संदेश को विधिविरुद्ध तरीके से अंतरुद्ध करता है,

वह कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो दो करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

20 स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

1860 का 45

(i) “प्रतिरूपण” पद का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 416 के अधीन इसमें नियत है ;

(ii) अनधिकृत इकाई में कॉल डाटा रिकार्ड, इंटरनेट प्रोटोकाल डाटा रिकार्ड, ट्रैफिक डाटा, सब्सक्राइबर डाटा रिकार्ड और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल हैं ।

25 (3) जो कोई—

(क) किसी उपस्कर को बिना प्राधिकार के अपने पास रखता है या इसका उपयोग करता है जो दूर संचार को अवरुद्ध करता है ;

(ख) इन दूर संचार पहचानकर्ताओं का उपयोग करता है जो धारा 3 की उपधारा (8) और उपधारा (9) के अनुसार आवंटित या अनुज्ञात नहीं हैं ;

30 (ग) दूर संचार पहचानकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ करता है ;

(घ) बिना प्राधिकार या छूट के रेडियो उपस्कर रखता है जो विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक ग्राहक पहचान माइयूल को समायोजित कर सकता है ;

(ङ) धोखाधड़ी, छल या प्रतिरूपण के माध्यम से ग्राहक पहचान माइयूल या अन्य दूर संचार पहचानकर्ता प्राप्त करता है ;

35 (च) जानबूझकर रेडियो उपस्कर अपने पास रखता है, यह जानते हुए कि यह

अनधिकृत या छेड़छाड़ किए गए दूर संचार पहचानकर्ताओं का उपयोग करता है, वह कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

(4) जो कोई धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिसूचना में किन्हीं उपायों का जानबूझकर अतिलंघन करेगा, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष के लिए होगा या ऐसे जुर्माने से जो दो करोड़ रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा तथा केंद्रीय सरकार यदि उचित समझती है, ऐसे व्यक्ति को दूर संचार सेवा से निलंबित या बर्खास्त भी कर सकेगी ।

(5) जो कोई संकटकालीन दूर संचार अवसंरचना के सिवाय दूर संचार नेटवर्क को क्षति कारित करेगा ऐसी कारित क्षति तथा जुर्माने के लिए प्रतिकर के लिए दायी होगा, जो पचास लाख रुपए तक हो सकेगी ।

(6) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है अथवा कारित करने का प्रयास करता है या कारित करने का षड्यंत्र करता है, यदि इस प्रकार दुष्प्रेरित या षड्यंत्र कार्य ऐसे दुष्प्रेरण या षड्यंत्र के परिणामस्वरूप कारित किया जाता है, अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा ।

(7) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा में विनिर्दिष्ट सभी अपराध संज्ञेय तथा गैर-जमानतीय होंगे ।

(8) मेट्रोपोलिटैन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम वर्ग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के दंड के लिए विचारण नहीं करेगा ।

खोज करने की शक्ति ।

43. इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी भवन, यान, जलयान, हवाई जहाज या किसी ऐसे स्थान की खोज कर सकेगा, जिसमें उल्लेख यह विश्वास करने का कारण है कि कोई अप्राधिकृत दूर संचार नेटवर्क या दूर संचार उपस्कर या रेडियो उपस्कर जिसके संबंध में धारा 42 के अधीन दंडनीय कोई अपराध कारित किया गया है, उसको रखता है या छिपाता है और कब्जा करता है ।

प्राधिकृत अधिकारियों के लिए जानकारी की आपूर्ति ।

44. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान होता है कि किसी इकाई या उपभोक्ता या अभिदाता द्वारा उपभोग की गई कोई दूर संचार सेवा, दूर संचार नेटवर्क या स्पेक्ट्रम के प्रयोग के संबंध में किसी प्राधिकृत इकाई या निर्धारिती के कब्जे या नियंत्रण में कोई सूचना, दस्तावेज या अभिलेख को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसके संबंध में कोई लंबित मामला या आशंकित सिविल या आपराधिक कार्यवाही इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा लिखित में विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी उसको ऐसी सूचना, दस्तावेज या अभिलेख को प्रस्तुत करने के लिए ऐसे प्राधिकृत इकाई या निर्धारिती को निदेश देगा तथा प्राधिकृत इकाई या निर्धारिती ऐसे अधिकारी के निदेश का अनुपालन करेंगे ।

## अध्याय 10

### प्रकीर्ण

सुरक्षा हितों का सृजन ।

45. केंद्रीय सरकार ऐसी सुरक्षा के लिए हित प्रदान कर सकती है, जो ऐसे सुरक्षा हित के निबंधन और शर्तों, जो विहित की जाएं, ऐसी योजना पर जिसमें किसी प्राधिकृत इकाई को ऐसी इकाई वित्तीय उधार के लिए प्रदान किया जा सके ।



1958 का 44

46. केंद्रीय सरकार वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयानों के ऐसे प्रवर्ग पर एक रेडियो उपस्कर प्रचालित करने वाले किसी व्यक्ति को या वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वायुयान तथा जलयान या वाहन के किसी अन्य प्रवर्ग को प्रमाणपत्र मंजूर कर सकती है, जो ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सके, जिसके अंतर्गत फीस और प्रभार लागू होते हैं, जो विहित की जाए।

किसी जलयान या वायुयान पर रेडियो उपस्कर के प्रचालन के लिए व्यक्ति का प्रमाणन।

1934 का 22

5

47. केंद्रीय सरकार किसी अव्यवसायी स्टेशन में संस्थापित करने तथा प्रचालित करने के लिए किसी व्यक्ति के प्रमाण की रीति के लिए नियम उपबंधित कर सकेगी तथा ऐसे नियम, ऐसे निबंधनों और शर्तों, जिसमें किसी अव्यवसायी स्टेशन को प्रचालित करने के लिए प्रमाणपत्र मंजूर किया जा सकता है, के लिए अर्हता को नियम द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रमाणपत्र को मंजूर करने के लिए परीक्षा आयोजित कराने, उसके लिए संदत्त फीस और प्रभार देना तथा अन्य सुसंगत मामले भी सम्मिलित हैं।

अव्यवसायी स्टेशन प्रचालक के लिए प्रमाणन।

10

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

15

(क) “अप्रवीण सेवा” से स्वयं प्रशिक्षण, अंतर संसूचना तथा किसी अप्रवीण द्वारा किया गया तकनीकी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए रेडियो संसूचना सेवा अभिप्रेत है, जिसे व्यक्तिगत लक्ष्य तथा बिना किसी धनीय हित के केवल रेडियो तकनीकी में सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है ;

20

(ख) “अप्रवीण स्टेशन” से किसी अप्रवीण सेवा के लिए अप्रवीण द्वारा प्रचालित रेडियो स्टेशन अभिप्रेत है।

48. किसी व्यक्ति को किसी उपस्कर के उपयोग से नहीं रोका जाएगा, जो दूर संचार अवरुद्ध करता हो जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा प्रदान न कर दी गई हो या केंद्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए किसी प्राधिकरण को प्राधिकृत न कर दिया गया हो।

उपस्कर के प्रयोग का प्रतिषेध जो दूर संचार को अवरुद्ध करता हो।

25

49. (1) अध्याय 8 या अध्याय 9 के उपबंधों के अनुसरण में अधिरोपित शास्तियां किसी प्राधिकृत इकाई या निर्धारिती द्वारा प्रतिकर या किसी फीस या सम्यक् प्रभार के संदाय के संबंध में किसी दायित्व के अतिरिक्त, न कि उसके अल्पीकरण में किया जाएगा।

ऐसी शास्तियां जिससे अन्य दायित्व प्रभावित नहीं होते हैं।

30

(2) इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य दायित्व के अतिरिक्त न कि प्रतिकूल प्रभाव में, जिससे किसी व्यक्ति को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपगत किया जा सकता है।

35

50. यह अधिनियम किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर कारित किए जाने वाले किसी अपराध या अतिलंघन को लागू होगा यदि ऐसे अपराध या अतिलंघन के गठन में कोई कृत्य या आचरण में भारत में प्रदान की गई दूर संचार सेवा या दूर संचार उपस्कर या भारत में स्थित दूर संचार नेटवर्क अंतर्वलित है।

भारत के बाहर कारित किए जाने वाले किसी अपराध या अतिलंघन के लिए अधिनियम का लागू होना।

सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण ।

51. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी या इस निमित्त कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, जिसने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या आदेश के अनुसार सद्भावपूर्वक किया जाता है, या करने का आशय रखता है ।

5

अन्य विधियों के साथ संगतता ।

52. (1) इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि के उपबंधों के अल्पीकरण के अतिरिक्त अर्थ नहीं होंगे तथा तत्समय प्रवृत्त ऐसी विधि से संगत के रूप में अर्थ होगा ।

(2) यदि इस अधिनियम के उपबंध तथा संपूर्ण भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध या किसी राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर लागू किसी प्रतिबंध के मध्य कोई विरोध उत्पन्न होता है, इस अधिनियम के उपबंध ऐसे विरोध के विस्तार के लिए अभिभावी होगा ।

10

अधिनियम का क्रियान्वयन ।

53. अधिनियम का क्रियान्वयन डिजाइन द्वारा डिजिटल रूप से किया जाएगा तथा केंद्रीय सरकार ऐसे उपाय करेगी, जो इस अधिनियम के डिजिटल क्रियान्वयन को समर्थ बनाने में आवश्यक हो ।

प्राधिकृत इकाई के कर्मचारी का साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं होना ।

54. किसी प्राधिकृत इकाई का कोई कर्मचारी किसी ऐसी विधिक कार्यवाही, जिसमें ऐसी प्राधिकृत इकाई पक्षकार नहीं है विशेष कारण के लिए किसी न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट जानकारी को साबित करने के लिए किसी साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।

15

1872 का 1

20

महाद्वीपीय मग्नतट भूमि और अनन्य आर्थिक जोन में अधिकार ।

55. भारत के महाद्वीपीय मग्नतट भूमि और अनन्य आर्थिक जोन में इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण या निर्धारण को मंजूर करने तथा यथास्थिति, किसी प्राधिकृत इकाई या निर्धारिती के अधिकार के लिए केंद्रीय सरकार के विशेषाधिकार राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 और लागू अंतरराष्ट्रीय विधियों के अधीन होंगे जैसा भारत में स्वीकार और समर्थित किया गया हो ।

1976 का 80

25

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

56. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से संगत हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में सभी या किन्हीं के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

30

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत अधिप्रमाणन अभिप्राप्त करने के लिए फीस और प्रभार्य ही है ;

(ख) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अधिप्रमाणन प्रदान करने के लिए छूट की रीति ;

35

(ग) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन निबंधन और शक्ति, जिसके अंतर्गत

मूल प्राधिकृत इकाई के लिए लागू फीस और प्रभार्य जो किसी विलयन, निर्विलयन अधिग्रहण या पुनर्संरचना के अन्य प्ररूप के अनुसार प्रकट होती हों, हैं ;

(घ) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन नए सेट के लिए प्रव्रजन के लिए अधिप्रमाणन की निबंधन और शर्तें ;

5 (ङ) धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन दूर संचार सेवाओं की किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए सत्यापन योग्य बायोमैट्रिक आधारित पहचान ;

10 (च) धारा 3 की उपधारा (8) के अधीन निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रयोग करने के लिए दूर संचार पहचानकर्ता के आबंटन के लिए फीस और प्रभार भी सम्मिलित हैं ;

(छ) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन स्पेक्ट्रम के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत क्रिया विधि, अवधि और प्रक्रिया की कीमत, शुल्क, फीस और प्रभार के लिए आवृत्ति रेंज, प्रणाली विज्ञान भी सम्मिलित हैं ;

15 (ज) धारा 4 की उपधारा (7) के अधीन स्पेक्ट्रम के निर्धारण के लिए छूट की रीति ;

(झ) धारा 5 के अधीन पुनर्संरचना तथा सामंजस्य के लिए निबंधन और शर्तें ;

(ञ) धारा 6 के अधीन निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत लागू फीस और प्रभार तथा अन्य सुसंगत शर्तें, जिसके अधीन वहन योग्य, उदारीकृत तथा प्रौद्योगिक रूप से प्राकृतिक रीति में स्पेक्ट्रम की उपयोगिता भी है ;

20 (ट) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्पेक्ट्रम के अधिकतम उपयोग के लिए निबंधन और शर्तें ;

(ठ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अपर्याप्त कारणों के लिए स्पेक्ट्रम के अनुपयोग की अवधि स्पेक्ट्रम उपयोगिता से संबंधित और निबंधन और शर्तें ;

25 (ड) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत निर्धारित किए गए स्पेक्ट्रम की भागीदारी, व्यापार, पट्टा और अभ्यर्षण के लिए लागू फीस और प्रभार भी हैं ;

(ढ) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन लोक संपत्ति में दूर संचार नेटवर्क के मार्गाधिकार के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए समय-सीमा, तथा मार्गाधिकार के लिए प्रशासनिक व्यय तथा प्रतिकर के लिए रकम का उपयोग;

30 (ण) धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन दूर संचार नेटवर्क में प्रवेश, सर्वे, स्थापित, प्रचालित, रखरखाव, अनुरक्षण, बदलने या पुनःस्थापन के लिए प्रसुविधा प्रदाता द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत संपत्ति के स्वामी या अधिभोगी द्वारा सूचना को जारी करने की रीति, शासी आक्षेपों का कार्यदांचा, वह रीति जिसमें ऐसे आक्षेपों का पुनःसमाधान किया जाएगा तथा किसी हानि के लिए संदेय प्रतिकर से संबंधित मामले भी हैं ;

35

(त) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन निबंधन और शर्तें जिसके अन्तर्गत संपत्ति से हानि पर अधिकार के लिए प्रभार और प्रतिकर;

(थ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत फीस और प्रभार जिसके अधीन दूर संचार नेटवर्क को प्रसुविधा प्रदाता के लिए खुले स्थान में पहुंच के आधार पर उपलब्ध कराना भी है ;

(द) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली पूर्व सूचना के लिए प्रक्रिया और रीति ;

5

(ध) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन प्रसुविधा प्रदाता द्वारा अपनाई जाने वाली दूर संचार नेटवर्क तथा पूर्वावधानी उपायों के लिए सूचना का प्रत्युत्तर देने के लिए समय-सीमा ;

(न) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन लोक आपात या लोक सुरक्षा के लिए प्रक्रिया तथा सुरक्षोपाय ;

10

(प) धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन लोक आपात या लोक सुरक्षा के लिए की गई कार्यवाही की अवधि और रीति ;

(फ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन दूर संचार नेटवर्क तथा दूर संचार सेवा की संरक्षा तथा साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उपाय ;

(ब) धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन संकटकालीन दूर संचार अवसंरचना के लिए क्रियान्वित किए जाने वाले मानक, सुरक्षा व्यवहार, अद्यतन अपेक्षाएं और प्रक्रिया ;

15

(भ) धारा 26 के अधीन डिजिटल भारत निधि के प्रशासन के लिए रीति ;

(म) धारा 27 के अधीन विनियामक सेंडबॉक्स के सृजन के लिए रीति और अवधि ;

20

(य) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन उपयोक्ताओं करने के संरक्षण के लिए उपाय ;

(यक) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन दूर संचार सेवा से संबंधित ऐसी शिकायतों के लिए किसी शिकायत और समाधान के रजिस्ट्रिकरण के लिए रीति ;

(यख) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन विवाद समाधान तंत्र में भाग लेने के लिए निबंधन और शर्तें ;

25

(यग) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन शिकायतों के निवारण के लिए प्ररूप, रीति और फीस ;

(यघ) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने की रीति ;

30

(यङ) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन अभिहित अपील समिति के समक्ष किसी अपील को फाइल करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(यच) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी और अभिहित अपील समिति के कृत्यों को करने के लिए तकनीकी-विधिक उपाय ;

(यछ) धारा 45 के अधीन सुरक्षा हित के निबंधन और शर्तें ;

35

(यज) धारा 46 के अधीन निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत प्रमाणपत्र मंजूर

करने के लिए लागू फीस और प्रभार्य ;

(यझ) धारा 47 के अधीन अव्यवसायी स्टेशन प्रचालक की परीक्षा के लिए प्रमाणपत्र की रीति, अर्हता और निबंधन और शर्तें जिसके अन्तर्गत फीस और प्रभार भी हैं ;

5

(यज) कोई ऐसा अन्य मामला जिसे, ऐसे उपबंध के संबंध में जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना है, विहित किया जाना है या किया जा सकेगा ।

10

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 57 के अधीन बनाई गई अनुसूची का संशोधन इसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अनुसूची का कोई उपांतरण करने के लिए कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या अनुसूची का संशोधन करने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । तथापि नियम या अनुसूची का संशोधन करने के लिए ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

15

57. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन, केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा,—

(क) पहली अनुसूची का संशोधन ;

20

(ख) दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी ;

परन्तु ऐसी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट शास्ति या सिविल शास्ति दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी ।

25

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई संशोधन इस प्रकार प्रभावी होगा मानो यदि अधिनियम अधिनियमित हो गया हो तथा अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा जब तक अधिसूचना अन्यथा निदेश दे ।

58. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभाव में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध बनाएगी, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो सकता हो :

30

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

35

59. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में,—

(क) धारा 2 में,—

(i) खंड (1) में,—

(अ) खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,

केंद्रीय सरकार की अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

1997 के अधिनियम 24 का संशोधन ।

अर्थात् :—

‘(ड) “अनुज्ञप्तिधारी” से दूर संचार अधिनियम, 2023 के अधीन दूर संचार सेवाएं प्रदान करने वाला या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन केबल टेलीविजन नेटवर्क प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई प्राधिकृत अस्तित्व अभिप्रेत है ;’;

1995 का 7  
5

(आ) खंड (डक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(डक) “अनुज्ञापक” से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, जो दूर संचार अधिनियम, 2023 के अधीन दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करती है ;’;

10

1995 का 7

(इ) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

15

‘(जक) “दूर संचार” का वही अर्थ होगा, जो उसका दूर संचार अधिनियम, 2023 में है ;’;

(ई) खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ट) “दूर संचार सेवाओं” से दूर संचार के लिए कोई सेवा अभिप्रेत है ;’;

20

(ii) उपधारा (2) में, “भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “दूर संचार अधिनियम, 2023 या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

1885 का 13

1933 का 17

1995 का 7 25

(ख) धारा 4 में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु कोई व्यक्ति, जो सरकार की सेवा में है या रहा है,—

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति ने भारत सरकार के सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारण नहीं किया हो ; या

30

(ख) सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति ने भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारण नहीं किया हो ;

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जो सरकार से भिन्न किसी सेवा में है या रहा है—

35

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति

न्यूनतम तीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो तथा धारा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड के सदस्य या मुख्य कार्यकारी के रूप में सेवा कर चुका हो ; या

5

(ख) सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति न्यूनतम पच्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो तथा धारा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड के सदस्य या मुख्य कार्यकारी के रूप में सेवा कर चुका हो ।”;

(ग) धारा 11 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

10 1885 का 13

(अ) “भारतीय तार अधिनियम, 1885” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “दूर संचार अधिनियम, 2023 या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

1995 का 7

15

(आ) पांचवें परंतुक में, “पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “अंतिम विनिश्चय करेगी ।” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“तीस दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर विचार करने के पश्चात् अपनी कोई और सिफारिशें, जो इसके पास हों, केन्द्रीय सरकार को संसूचित करेगा और अतिरिक्त सिफारिशें, यदि कोई हों, प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार अंतिम विनिश्चय करेगी ।”;

20

(ii) उपधारा (2) में,—

1885 का 13

(अ) “भारतीय तार अधिनियम, 1885” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “दूर संचार अधिनियम, 2023 या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

1995 का 7

25

(आ) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि प्राधिकरण, दूर संचार सेवाएं प्रदान करने वाले प्राधिकृत अस्तित्व या प्राधिकृत अस्तित्वों के वर्ग को, अत्यंत सस्ती कीमतों, जो प्रतिस्पर्धा, दीर्घावधि विकास और दूर संचार सेक्टर के संपूर्ण आरोग्य के लिए हानिकर है, से दूर रहने का निदेश दे सकेगा ।”;

30

(घ) धारा 14 के खंड (क) में,—

(i) उपखंड (i) का लोप किया जाएगा ;

(ii) पैरा (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

35

“(ग) दूर संचार अधिनियम, 2023 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी या अभिहित अपील समिति द्वारा न्यायनिर्णीत किए जाने वाले कोई विवाद ;”;

(iii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

“(घ) दूर संचार अधिनियम, 2023 की धारा 39 के अधीन अपीलों की सुनवाई और उनका निपटारा।”;

(iv) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन संस्थित तथा नियत दिन के ठीक पूर्व दूर संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण में लंबित किसी कार्रवाई की दूर संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण द्वारा सुनवाई की जाती रहेगी तथा उसका निपटारा किया जाएगा, मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ हो ; 5 1997 का 2

(ड) धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— 10

“38. इस अधिनियम के उपबंध, दूर संचार अधिनियम, 2023 के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, और विशिष्टतया इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसी अधिकारिता, शक्तियों और कृत्यों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका प्रयोग या पालन ऐसे प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र के संबंध में समुचित प्राधिकरण द्वारा किया जाना अपेक्षित है।”। 15

## अध्याय 11

### निरसन और व्यावृत्तियां

कतिपय  
अधिनियमों  
निरसन  
और  
व्यावृत्तियां ।

60. (1) इस भाग के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अधिनियमितियां, अर्थात् भारतीय तार अधिनियम, 1885, भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 और तारयंत्र संबंधी तार (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950 निरसित की जाती हैं । 1885 का 13 20 1933 का 17 1950 का 74

(2) पूर्वोक्त उपबंधों का निरसन होते हुए भी, निरसित उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जिसके अंतर्गत कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त करना, रजिस्ट्रीकरण या समनुदेशन, कोई आदेश या लंबित अथवा चल रही कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी और उसके संबंध में इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे ।

(3) भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग 3 के उपबंध, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अधीन पारेषण लाइनों को बिछाने से संबंधित सभी मामलों को इस प्रकार लागू होते रहेंगे, मानो भारतीय तार अधिनियम, 1885 का निरसन नहीं किया गया हो तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के प्रति निर्देश से भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग 3 के उपबंध, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 का संशोधन होने तक, निरंतर प्रवर्तन में रहेंगे । 25 1885 का 13 2003 का 36 30

विद्यमान नियमों  
का जारी रहना ।

61. भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 या तारयंत्र संबंधी तार (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950 के अधीन बनाए गए या बनाए जाने के लिए तात्पर्यित सभी नियम, किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित सभी आदेश, जहां तक वे उन विषयों से संबंधित हैं, जिनके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है तथा वे उससे असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए या किए गए समझे जाएंगे, मानों यह अधिनियम उस तारीख को प्रवर्तन में था, जिसको ऐसे नियम बनाए गए या आदेश किए गए, और वे निरंतर प्रवर्तन में रहेंगे, जब तक उन्हें इस अधिनियम के अधीन किन्हीं नियमों 1885 का 13 1933 का 17 1950 का 74 35



द्वारा अधिकांत नहीं कर दिया जाता ।

62. केन्द्रीय सरकार द्वारा, या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, स्पेक्ट्रम प्रदान करने या दूर संचार सेवाओं का उपबंध करने या दूर संचार नेटवर्क अथवा दूर संचार अवसंरचना की स्थापना के संबंध में, नियत दिन के पूर्व, कार्यकारी कार्रवाइयों के किए गए सभी कृत्य, लिए गए विनिश्चय, की गई कार्रवाइयां और की गई कार्यवाहियां और पारित किए गए आदेश, इस विश्वास या तात्पर्यित विश्वास में किए गए कृत्य, लिए गए विनिश्चय, की गई कार्रवाइयां और की गई कार्यवाहियां, भारतीय तार अधिनियम, 1885, भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 या तारयंत्र संबंधी तार (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950 के अधीन किए गए थे, लिए गए थे या पारित किए गए थे, इस प्रकार विधिमान्य और प्रचालित होंगे, मानों वे विधि के अधीन किए गए या पारित किए गए हों ; और किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, चाहे जो कोई भी हो, इस आधार पर कि किए गए ऐसे कृत्य, लिए गए विनिश्चय, की गई कार्यवाहियां, विधि के अनुसार नहीं किए गए थे, कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी ।

कतिपय  
अधिनियमों का  
विधिमान्यकरण  
और क्षतिपूर्ति ।

S

1885 का 13

1933 का 17

10 1950 का 74

## पहली अनुसूची

[धारा 4(4)(5), और धारा 57(1) देखिए]

### प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम का समनुदेशन

1. राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ।
2. विधि प्रवर्तन और अपराध निवारण ।
3. लोक प्रसारण सेवाएं ।
4. आपदा प्रबंधन, जीवन और संपत्ति की रक्षा ।
5. वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन विकास और खोज का संवर्द्धन ।
6. सड़कों, रेल मार्गों, मेट्रो, क्षेत्रीय रेल, अन्तरदेशीय जलमार्गों, विमानपत्तनों, पाइप लाइनों, पोत परिवहन और अन्य यातायात प्रणालियों की सुरक्षा और प्रचालन ।
7. प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवन का संरक्षण ।
8. मौसम विभाग और मौसम पूर्वानुमान ।
9. अव्यवसायी स्टेशनों, नौ-परिवहन, दूरमिति और अन्य समान उपयोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त समर्पित बैंड ।
10. खानों, पत्तनों और तेल की खोज की सुरक्षा और प्रचालनों तथा ऐसे अन्य क्रियाकलापों के लिए, जहां स्पेक्ट्रम का उपयोग प्राथमिक रूप से सुरक्षा और प्रचालनों का समर्थन करने के लिए है, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, या उनके अस्तित्वों या अन्य प्राधिकृत अस्तित्वों द्वारा उपयोग ।
11. पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएं ।
12. दूर संचार सेवाओं के लिए रेडियो बैकहाल ।  
स्पष्टीकरण—'रेडियो बैकहाल' पद से दूर संचार नेटवर्कों में उपभोक्ता उपस्कर से भिन्न, केवल दूर संचार उपकरण को आपस में जोड़ने के लिए, रेडियो बारम्बारता का उपयोग अभिप्रेत होगा ।
13. सामुदायिक रेडिया स्टेशन ।
14. इन-फ्लाइट और समुद्रीय सहबद्धता ।
15. अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोग, प्रस्थान यान प्रचालन और सेटेलाइट नियंत्रण के लिए आधार स्टेशन ।
16. कतिपय सेटेलाइट आधारित सेवाएं, जैसे टेलीपोर्ट, टेलीविजन चैनल, डाइरेक्ट टू होम, हैडएंड इन द स्काई, डिजिटल सेटेलाइट समाचार एकत्रीकरण, वैरी स्माल अपेरचर टर्मिनल, सेटेलाइट द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार, राष्ट्रीय लंबी दूरी, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी, एल एंड एस बैंड में मोबाइल सेटेलाइट सेवा ।
17. दूर संचार सेवाओं के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, या उनके प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा उपयोग ।
18. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन नेटवर्क लिमिटेड (एमटीएनएल) ।
19. नई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन को समर्थ बनाने के लिए परीक्षण जांच, परिप्रयोग, प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत एक या अधिक विनियामक सैंडबाक्स का सृजन भी है ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 32(1)(क) और धारा 34(8) देखिए]

धारा 32 और धारा 34 के अधीन निबंधनों और शर्तों के भंग के लिए सिविल शास्तियां

प्रवर्गीकरण	सिविल शास्ति
गंभीर	पांच करोड़ रुपए तक
प्रमुख	एक करोड़ रुपए तक
मध्यम	दस लाख रुपए तक
अल्प	एक लाख रुपए तक
अगंभीर	लिखित चेतावनी ।

## तीसरी अनुसूची

[धारा 33(1), (2), धारा 34(1),(3), (5) और धारा 34(8) देखिए]

### कतिपय उल्लंघनों के लिए सिविल शास्तियां

क्र.सं.	अधिनियम के अधीन उल्लंघन	शास्ति
1.	(क) धारा 42 की उपधारा (3) के खंड (घ) और खंड (च) के अधीन अपराध के सिवाय, प्राधिकार या छूट के बिना रेडियो उपस्कर रखना ; (ख) अधिसूचित संख्या के आधिक्य में अंशदाता पहचान मोड्यूल का उपयोग ।	प्रथम अपराध : पचास हजार रुपए तक सिविल शास्ति । प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध : ऐसे प्रत्येक अवसर के लिए दो लाख रुपए तक की सिविल शास्ति ।
2.	यह जानते हुए या ऐसा विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी दूर संचार सेवा या दूर संचार नेटवर्क के पास इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित प्राधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति या अस्तित्व द्वारा किसी दूर संचार सेवा या दूर संचार नेटवर्क का उपयोग ।	दस लाख रुपए तक की सिविल शास्ति ।
3.	धारा 28 (उपयोक्ताओं के संरक्षण हेतु उपाय) के उपबंधों का उल्लंघन ।	प्रथम अपराध : पचास हजार रुपए तक सिविल शास्ति । प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध : ऐसे प्रत्येक अवसर के लिए दो लाख रुपए तक की सिविल शास्ति, या दूर संचार सेवा का निलंबन या दोनों का संयोजन ।
4.	इस अधिनियम के अधीन किसी विषय के संबंध में इस अधिनियम या नियमों, या किसी समनुदेशन या प्राधिकार के किन्हीं निबंधनों या शर्तों का उल्लंघन, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई शास्ति या दंड का उपबंध नहीं किया गया है ।	प्रथम अपराध : पच्चीस हजार रुपए तक सिविल शास्ति । द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध : प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पचास हजार रुपए तक की और सिविल शास्ति ।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

दूर संचार सेक्टर आर्थिक और सामाजिक विकास का मुख्य चालक है। यह डिजीटल सेवाओं का गेटवे है। हमारे देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण रूप से दूर संचार नेटवर्कों की सुरक्षा पर निर्भर करती है। इसलिए, ऐसा विधिक और विनियामक फ्रेमवर्क सृजित करने की आवश्यकता है, जो सुरक्षित और रक्षित दूर संचार नेटवर्क, जो डिजीटल रूप से समाविष्ट वृद्धि का उपबंध करते हैं, पर ध्यान केंद्रित करता है।

2. विद्यमान विधिक फ्रेमवर्क वर्ष 1885, वर्ष 1933 और वर्ष 1950 में अधिनियमित तीन विधियों द्वारा शासित होता है। दूर संचार की प्रकृति, उसका उपयोग और उसमें निहित प्रौद्योगिकियों में विशेषकर पिछले दशक में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इसलिए, दूर संचार सेक्टर के लिए एक ऐसा विधान अधिनियमित करने की आवश्यकता है, जो हमारे समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

3. दूर संचार विधेयक, 2023 दूर संचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्कों के विकास, विस्तार और प्रचालन; स्पेक्ट्रम प्रदान करने से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने; तथा उससे उपाबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए है।

4. विधेयक, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है—

(क) दूर संचार सेवाओं, दूर संचार नेटवर्कों और रेडियो उपस्कर के कब्जे, सुव्यवस्थितिकरण और पुनर्विचनना के लिए उपबंधों सहित स्पेक्ट्रम प्रदान करने और दक्ष उपयोग करने; नई प्रौद्योगिकियों का विकास; और स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए नवप्रवर्तन के लिए विनियामक सेंडबाक्स;

(ख) मार्गाधिकार उपबंधों और सामान्य डक्टों की स्थापना के माध्यम से टेलीफोन नेटवर्कों के विकास और अनुरक्षण के लिए फ्रेमवर्क;

(ग) दूर संचार उपस्कर, दूर संचार पहचानकर्ताओं, दूर संचार नेटवर्क और दूर संचार सेवाओं के मानकों और अनुरूपता निर्धारण के लिए फ्रेमवर्क;

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक आपात स्थिति और लोक सुरक्षा के लिए उपबंध;

(ङ) उपयोगकर्ताओं के संरक्षण और उपयोगकर्ताओं के कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिए उपबंध;

(च) विवादों के समाधान के लिए फ्रेमवर्क;

(छ) प्रस्तावित विधान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुपालना फ्रेमवर्क;

(ज) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अधीन पारोषण लाइनों को बिछाने से संबंधित मामलों के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग 3 की व्यावृत्ति;

(झ) भारतीय तार अधिनियम, 1885, भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 और तारयंत्र सम्बन्धी तार (विधि-विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950 का निरसन; और

(ञ) भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के

कतिपय उपबंधों का संशोधन ।

5. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करते हैं ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;  
16 दिसंबर, 2023

अश्विनी वैष्णव

## खंडों पर टिप्पण

खंड 1 प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का तथा प्रस्तावित विधान की विभिन्न धाराओं के विभिन्न तारीखों को प्रवृत्त होने का उपबंध करता है ।

खंड 2 प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों और पदों को परिभाषित करता है ।

खंड 3 का उपखंड (1) उपबंध करता है कि दूर संचार सेवाएं प्रदान करने, दूर संचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करने ; या रेडियो उपस्कर धारण करने हेतु किसी व्यक्ति के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अंतर्गत ऐसी फीस या प्रभार भी है, केन्द्रीय सरकार से प्राधिकार प्राप्त करना आज्ञापक होगा ।

खंड 3 का उपखंड (2) उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन नियम बनाते समय भिन्न-भिन्न प्रकार की दूर संचार सेवाओं, दूर संचार नेटवर्क या रेडियो उपस्कर के प्राधिकार के लिए भिन्न-भिन्न निबंधनों और शर्तों का उपबंध कर सकेगी ।

खंड 3 का उपखंड (3) उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, प्राधिकार की अपेक्षा से लोकहित में छूट प्रदान करने के लिए, नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी ।

खंड 3 का उपखंड (4) उपबंध करता है कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन नियत दिन से पूर्व प्रदत्त कोई छूट इस अधिनियम के अधीन जारी रहेगी, जब तक केन्द्रीय सरकार अन्यथा अधिसूचित न करे ।

खंड 3 का उपखंड (5), प्राधिकृत इकाई के विलयन, निर्विलयन या अर्जन या अन्य प्रकार की पुनर्संरचना से संबंधित है और ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाएं ।

खंड 3 का उपखंड (6), चाहे किसी भी नाम से ज्ञात किसी अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञा, जो प्रस्तावित विधान के नियत दिन से पूर्व अनुदत्त की गई है, के जारी रहने का उपबंध करता है ।

खंड 3 का उपखंड (7) उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन कोई प्राधिकृत इकाई, जो अधिसूचित दूर संचार सेवाएं प्रदान करती है, उस व्यक्ति की, जिसे दूर संचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं, किसी सत्यापन योग्य बायोमैट्रिक आधारित पहचान, जैसा नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, के प्रयोग के माध्यम से पहचान करेगी ।

खंड 3 का उपखंड (8) उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अंतर्गत फीस और प्रभार भी हैं, जो नियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं, प्राधिकृत इकाईयों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए दूर संचार पहचानकर्ताओं का आबंटन करेगी ।

खंड 3 का उपखंड (9) उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा आबंटित दूर संचार पहचानकर्ताओं का उपयोग करना अनुज्ञात कर सकेगी ।

खंड 4 का उपखंड (1) उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, जनसाधारण की ओर से स्पेक्ट्रम की स्वामी होते हुए, इस अधिनियम के अनुसार स्पेक्ट्रम का समनुदेशन करेगी और समय-समय पर राष्ट्रीय आवृत्ति आबंटन योजना अधिसूचित कर सकेगी ।

खंड 4 का उपखंड (2) उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति, जो स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का आशय रखता है, उसे केन्द्रीय सरकार से समनुदेशन अपेक्षित होगा ।

खंड 4 का उपखंड (3) उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, स्पेक्ट्रम के समनुदेशन के लिए समनुदेशन पर लागू निबंधन और शर्तों, नियमों द्वारा उपबंधित कर सकेगी ।

खंड 4 का उपखंड (4) उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, पहली अनुसूची में सूचीबद्ध इकाईयों के सिवाय, जिनके लिए प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा समनुदेशन किया जा सकता है, नीलामी के माध्यम से दूर संचार के लिए स्पेक्ट्रम समनुदेशित करेगी ।

खंड 4 का उपखंड (5) विनिर्दिष्ट करता है कि केन्द्रीय सरकार, लोकहित में या सरकारी कृत्यों के निर्वहन के लिए या उस दशा में, जहां स्पेक्ट्रम की नीलामी तकनीकी या आर्थिक कारणों से, समनुदेशन की अधिमानी रीति नहीं है, पहली अनुसूची की प्रविष्टियों का, अधिसूचना द्वारा, संशोधन कर सकेगी ।

खंड 4 का उपखंड (6) उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, उपखंड (2) के अधीन समनुदेशित उपेक्षाओं से लोकहित में छूट प्रदान करने का उपबंध कर सकेगी ।

खंड 4 का उपखंड (7) उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के नियत दिन से पूर्व भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन प्रदत्त कोई छूट जारी रहेगी ।

खंड 4 का उपखंड (8) प्रस्तावित विधान के नियत दिन से पूर्व, प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से समनुदेशित स्पेक्ट्रम की निरंतरता का उपबंध करता है ।

खंड 4 का उपखंड (9) उन निबंधनों और शर्तों की निरंतरता का उपबंध करता है, जिनके अधीन प्रस्तावित विधान के नियत दिन से पूर्व, कोई स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से समनुदेशित किया गया था ।

खंड 5 उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, स्पेक्ट्रम के अधिक दक्ष उपयोग को समर्थ बनाने के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाएं, स्पेक्ट्रम को रि-फार्म या सुव्यवस्थित कर सकेगी ।

खंड 6 उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, स्पेक्ट्रम का ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अंतर्गत लागू फीस और प्रभार, जो नियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं, सम्मिलित हैं, किसी लोचनीय, स्वतंत्र और प्रौद्योगिकीय रूप से तटस्थ रीति में उपयोग समर्थ कर सकेगी ।

खंड 7 का उपखंड (1) उपलब्ध स्पेक्ट्रम का, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाएं, अनुकूलतम उपयोग के संवर्धन के लिए समर्थकारी उपबंध है ।

खंड 7 का उपखंड (2) उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, समनुदेशन को समाप्त कर सकेगी या अतिरिक्त निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगी, यदि वह अवधारित करती है कि समनुदेशित स्पेक्ट्रम अपर्याप्त कारणों से अनुपयोजित रह गया है ।

खंड 8 का उपखंड (1) समनुदेशित स्पेक्ट्रम के हस्तक्षेप मुक्त उपयोजन को समर्थ बनाने के लिए मानीटरी और प्रवर्तन तंत्र का उपबंध करता है ।

खंड 8 का उपखंड (2) समनुदेशित स्पेक्ट्रम को बांटने, व्यापार करने, पट्टे पर देने और अभ्यर्पित करने का उपबंध करता है ।



खंड 9 उपबंध करता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी प्राधिकार या समनुदेशन की बाबत संदत किसी फीस या प्रभार के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा, यदि ऐसा प्राधिकार या समनुदेशन निलंबित किया जाता है, कम किया जाता है, प्रतिसंहण किया जाता है या उसमें फेरफार किया जाता है।

खंड 10 अध्याय 3 में प्रयुक्त "प्रसुविधा प्रदाता", "लोक इकाई" और "लोक संपत्ति" पदों को परिभाषित करने का उपबंध करता है।

खंड 11 का उपखंड (1) उपबंध करता है कि कोई प्रसुविधा प्रदाता, किसी लोक अस्तित्व को, ऐसी लोक संपत्ति के दूर संचार नेटवर्क के लिए मार्ग के अधिकार की अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

खंड 11 का उपखंड (2), लोक अस्तित्व, मार्ग अधिकार हेतु अनुज्ञा अनुदत्त करने के लिए उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त करने का उपबंध करता है।

खंड 11 का उपखंड (3) लोक अस्तित्व को, उपखंड (2) के अधीन शीघ्र रीति में, और विहित प्रशासनिक व्ययों और प्रतिकर, जो नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, के अधीन रहते हुए, अनुज्ञा अनुदत्त करने के लिए आज्ञापक बनाता है।

खंड 11 का उपखंड (4) उपबंध करता है कि मार्ग के अधिकार के किसी आवेदन की अस्वीकृति, अभिलिखित किये जाने वाले युक्तियुक्त आधारों के आधार पर होगी।

खंड 11 का उपखंड (5) आज्ञापक बनाता है कि प्रसुविधा प्रदाता, लोक संपत्ति को यथा संभव कम से कम नुकसान पहुंचाएगा, और सुनिश्चित करेगा कि ऐसी लोक संपत्ति पर संक्रियाओं की कृत्यशीलता और निरंतरता प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।

खंड 11 का उपखंड (6) प्रसुविधा प्रदाता की बाध्यता का, यदि संपत्ति को कोई नुकसान कारित किया जाता है, उपबंध करता है।

खंड 11 का उपखंड (7) उपबंध करता है कि खंड 11 के उपबंध ऐसी परियोजनाओं या परियोजनाओं के वर्ग के लिए निहित किसी लोक संपत्ति के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए, लागू होंगे और ऐसे मामलों में, मार्ग के अधिकार के लिए आवेदन, ऐसी परियोजनाओं के लिए रियायत, संविदा या अनुज्ञा अनुदत्त करने वाली लोक इकाई को किए जाएंगे।

खंड 12 का उपखंड (1) लोक संपत्ति से भिन्न, संपत्ति पर मार्ग के अधिकार हेतु आवेदन प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है। कोई प्रसुविधा प्रदाता उस व्यक्ति को, जिसके स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन में ऐसी संपत्ति निहित है, दूरसंचार नेटवर्क के लिए मार्ग की ईप्सा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

खंड 12 का उपखंड (2) उपबंध करता है कि, उपखंड (1) के अधीन आवेदन प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रसुविधा प्रदाता से परस्पर सहमति की शर्त के अधीन रहते हुए मार्ग का अधिकार प्रदान करेगा।

खंड 12 का उपखंड (3) प्रसुविधा प्रदाता मार्ग के अधिकार का प्रयोग करते समय संपत्ति को यथा संभव कम नुकसान पहुंचाने को अनिवार्य बनाता है।

खंड 12 का उपखंड (4), संपत्ति को किसी नुकसान की दशा में प्रसुविधा प्रदाता की बाध्यताओं का उपबंध करने के लिए है।

खंड 12 का उपखंड (5) लोक संपत्ति से भिन्न संपत्ति पर मार्ग के अधिकार हेतु

केन्द्रीय सरकार के लिए वर्णित प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 12 का उपखंड (6) ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए है जब खंड 12 के उपखंड (2) के अधीन व्यक्ति अनुरोध किए गए मार्ग के अधिकार को उपलब्ध करने में असफल रहता है । ऐसी परिस्थितियों में, केन्द्रीय सरकार लोकहित में यह अवधारित करेगी कि ऐसे प्रसुविधा प्रदाता को ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे दूरसंचार नेटवर्क को स्थापित, संचालित और अनुरक्षित करने के लिए मार्ग के अधिकार को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

खंड 13, खंड 11 या खंड 12 के अधीन मार्ग का अधिकार प्रदान करने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसुविधा प्रदाता को मार्ग का अधिकार अविभेदकारी रीति और जहां तक व्यवहार्य हों, गैर अनन्य आधार पर अनुदत्त किया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 14 का उपखंड (1) प्रसुविधा प्रदाता को उस संपत्ति पर, सिवाय धारा 11 या खंड 12 में उपबंधित संपत्ति के उपयोग के अधिकार के, कोई अधिकार, हक या हित नहीं होगा जिस पर वह स्थापित है, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 14 का उपखंड (2) किसी संपत्ति पर प्रतिष्ठापित दूरसंचार नेटवर्क ऐसी संपत्ति पर किसी दावे, विल्लंगमों, परिसमापन या सदृश के अधीन नहीं होगा, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 14 का उपखंड (3) किसी संपत्ति पर प्रतिष्ठापित दूरसंचार नेटवर्क को ऐसी संपत्ति का भाग नहीं समझा जाएगा जिसके अंतर्गत उस संपत्ति से संबंधित किसी संव्यवहार या संपत्ति कर, उद्ग्रहण, उपकर, फीस, शुल्क, जो उस संपत्ति को लागू हों, के प्रयोजन सम्मिलित है, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 14 का उपखंड (4), इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय किसी लोक अस्तित्व को किसी प्राधिकृत अस्तित्व द्वारा स्थापित किसी दूरसंचार नेटवर्क को बंद करने, उस तक पहुंच रोकने या बलपूर्वक बंद करने का सिवाय तब जब ऐसी कार्रवाई किसी प्राकृतिक आपदा या सार्वजनिक आकस्मिकता के लिए आवश्यक हों, अधिकार नहीं होगा, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 15 का उपखंड (1) दूर संचार नेटवर्क के संस्थापन के लिए केन्द्रीय सरकार की अवसंरचना परियोजनाओं को अधिसूचित करने जो सामान्य डक्ट और केवल कारीडोर स्थापित करने के लिए अनिवार्य है, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 15 का उपखंड (2), उपधारा (1) में निर्दिष्ट दूरसंचार नेटवर्क, प्रसुविधा प्रदाताओं को ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो विहित की जाए, जिसके अंतर्गत फीस और प्रभार जो नियमों द्वारा उपबंध किया जाए, के अधीन रहते हुए, खुली पहुंच के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 16 का उपखंड (1) ऐसी परिस्थितियों से निपटता है जहां दूरसंचार नेटवर्क रखा गया है, उस संपत्ति से व्यौहार करने के हकदार व्यक्ति के हितों के अनुसरण में जब दूरसंचार नेटवर्क को हटाना, दूसरे स्थान पर ले जाया जाना या उसमें परिवर्तन करना आवश्यक है । ऐसा करने के लिए हकदार कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति से ऐसी रीति में व्यौहार करने की वांछा करता है । ऐसा व्यक्ति प्रसुविधा प्रदाता से दूरसंचार नेटवर्क को

हटाने, किसी और स्थान पर ले जाने या परिवर्तन करने का अनुरोध कर सकेगा ।

खंड 16 का उपखंड (2) हटाए जाने या परिवर्तन के व्यय की अदायगी के समय प्रतिकर का समायोजन का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 16 का उपखंड (3) यदि इस अध्याय के अधीन कोई विवाद उद्भूत होता है तो मामले का धारा 18 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अवधारण किया जाएगा, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 16 का उपखंड (4) यदि प्रसुविधा प्रदाता अध्यपेक्षा का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी अध्यपेक्षा करने वाला व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अधिकारिता के भीतर संपत्ति अवस्थित है, को दूरसंचार नेटवर्क को कहीं ओर ले जाए जाने या परिवर्तित करने का आदेश करने का आवेदन कर सकेगा, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 16 का उपखंड (5) किसी और स्थान पर ले जाए जाने या परिवर्तित करने के लिए आवेदन प्राप्त करते समय जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों से संबंधित है ।

खंड 17 का उपखंड (1) ऐसी प्रक्रिया के अनुपालन का उपबंध करने के लिए है जब कोई व्यक्ति, जो अपने किसी अधिकार का प्रयोग करने में अपनी संपत्ति को इस प्रकार बरतना चाहता है जिससे किसी दूरसंचार नेटवर्क, को नुकसान होने या दूरसंचार सेवाओं में विघ्न या हस्तक्षेप होने की संभाव्यता हो ।

खंड 17 का उपखंड (2) सुविधा प्रदाता, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण की बाध्यताओं जो ऐसे दूरसंचार नेटवर्क और रक्षोपाय, जो किए गए हों, ऐसी समयसीमा के भीतर, जो विहित की जाए, के ब्यौरों सहित ऐसी सूचना का प्रति उत्तर देगा, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 17 का उपखंड (3) ऐसी परिस्थितियों से संबंधित है जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक क्षति के आसन्न खतरे से बचाने के सद्भावपूर्ण आशय से किसी संपत्ति से उस प्रकार बरतता है, जो उक्त धारा में निर्दिष्ट है, उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उक्त धारा के उपबंधों का अनुवर्तन कर दिया है, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 17 का उपखंड (4) ऐसी प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है जब कोई व्यक्ति, नोटिस देने की अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, या संपत्ति का उस रीति में प्रयोग करता है जिससे दूरसंचार नेटवर्क को नुकसान हो जाए या विघ्न या हस्तक्षेप की संभाव्यता हो।

खंड 17 का उपखंड (5) यह उपबंध करता है कि नुकसानों के संबंध में कोई विवाद जिला न्यायाधीश द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

18 का उपखंड (1) मार्ग के अधिकार से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की विवाद समाधान शक्तियों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 18 का उपखंड (2) प्रतिकर से संबंधित विवाद उस जिला न्यायाधीश द्वारा अवधारित किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता के भीतर संपत्ति अवस्थित है।

खंड 18 का उपखंड (3) यह उपबंध करने के लिए है कि किसी विवाद का जिला मजिस्ट्रेट या जिला न्यायाधीश द्वारा अवधारण अंतिम होगा ।

खंड 18 का उपखंड (4) उपधारा (4) की किसी बात का किसी सुविधा प्रदाता द्वारा

संदत्त किसी प्रतिकर के संपूर्ण या किसी भाग को वाद द्वारा उस व्यक्ति से, जिसने उसे प्राप्त किया है, किसी व्यक्ति के वसूली के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, का उपबंध करने के लिए है।

खंड 19 केंद्रीय सरकार को दूरसंचार सेवाओं, दूरसंचार नेटवर्क, दूरसंचार उपस्कर या दूरसंचार पहचान कारकों के संबंध में अनुरूप मूल्यांकन उपाय और मानक अधिसूचित करने हेतु सशक्त बनाता है।

खंड 20 का उपखंड (1) किसी लोक आपात के होने पर या आपदा प्रबंधन या लोक सुरक्षा हित में किसी प्राधिकृत इकाई से दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क का अस्थायी कब्जा लेने, और लोकापात के दौरान पूर्विकता संदेश भेजने हेतु समुचित तंत्र के संबंध में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को सशक्त करने का उपबंध करने के लिए है।

खंड 20 का उपखंड (2) किसी लोकापात के होने पर या लोक सुरक्षा के हित में, जहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की रक्षा और सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हितों में अथवा किसी अपराध के किए जाने के उद्दीपन के निवारण के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, के संबंध में अन्य कार्यवाही करने के लिए उपबंध करने के लिए है।

खंड 20 का उपखंड (3) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को प्रत्याशित संवाददाताओं के वे-प्रेस संदेश, जो भारत में प्रकाशित किए जाने के लिए आशयित हैं, तब तक अंतरूद्ध या निरूद्ध नहीं किए जाएंगे जब तक उनका पारेषण विशेष रूप से आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध न किया गया हो, का उपबंध करने के लिए है।

खंड 20 का उपखंड (4) यह उपबंध करने के लिए है कि खंड 20 के अधीन की गई कार्रवाइयां केवल ऐसी अवधि और ऐसी रीति में होंगी जो विहित की जाएं।

खंड 21 ऐसे उपाय जो केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ले सकेगी, का उपबंध करता है।

खंड 22 का उपखंड (1) दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का उपबंध करता है।

खंड 22 का उपखंड (2) संग्रहण, विश्लेषण और यातायात डाटा का प्रसार, जिसे दूर संचार नेटवर्कों में सृजित, पारेषित, प्राप्त या भांडागारित का उपबंध करता है।

खंड 22 का उपखंड (3), केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी दूरसंचार नेटवर्क या उसके भाग को महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के रूप में घोषित करने का उपबंध करता है।

खंड 22 का उपखंड (4) केन्द्रीय सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के लिए मानक सुरक्षा उपाय और उन्नयन अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं का उपबंध करता है।

खंड 23 केन्द्रीय सरकार को लोक हित में विनिर्दिष्ट संदेशों को भेजने के लिए किसी प्राधिकृत इकाई को निदेश देने के लिए सशक्त करता है।

खंड 24 का उपखंड (1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन सृजित सर्वव्यापी सेवा बाध्यता को प्रस्तावित अधिनियम के अधीन डिजिटल भारत निधि होने का उपबंध करता है।

खंड 24 का उपखंड (2) डिजिटल भारत निधि को देय धन की कोई राशि जो खंड 3 के प्राधिकार के अनुसरण में संदत्त है वह डिजिटल भारत निधि को जमा होने का उपबंध करता है ।

खंड 24 का उपखंड (3) डिजिटल भारत निधि में जमा अतिशेष वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययगत नहीं होने का उपबंध करता है ।

खंड 24 का उपखंड (4) सर्वव्यापी सेवा बाध्यता को नियत दिन से पूर्व अनुदत्त अनुज्ञप्तियों के अधीन संदेय सभी रकम डिजिटल भारत निधि को संदेय रकम माने जाने का उपबंध करता है ।

खंड 25 डिजिटल भारत निधि के लिए प्राप्त धन की राशियों के जमा के लिए क्रियाविधि तथा डिजिटल भारत निधि के उद्देश्यों का उपबंध करता है ।

खंड 26 डिजिटल भारत निधि ऐसी रीति में प्रशासित की जाएगी, जो नियमों द्वारा विहित की जाए, का उपबंध करता है ।

खंड 27 दूरसंचार में नवोन्मुख और प्रौद्योगिकी विकास के प्रोत्साहन और सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक विनियामक सैंड बाक्स बनाने का उपबंध करता है ।

खंड 28 का उपखंड (1) "विनिर्दिष्ट संदेश" पद को परिभाषित करता है ।

खंड 28 का उपखंड (2) केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किन्हीं विनियमों के अनुरूप उपयोक्ताओं के संरक्षण हेतु उपर्युक्तों के लिए नियमों द्वारा उपबंध करने का प्रावधान करता है ।

खंड 28 का उपखंड (3) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली एक प्राधिकृत इकाई उपयोगकर्ताओं की शिकायत के निवारण के लिए ऐसी रीति में जो नियमों द्वारा विहित की जाए, एक आनलाइन क्रियाविधि स्थापित करने का उपबंध करता है ।

खंड 29 प्रस्तावित विधायन के अधीन उपयोक्ताओं के कर्तव्य का उपबंध करता है ।

खंड 30 का उपखंड (1) केन्द्रीय सरकार को उपयोक्ताओं और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाईयों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक या अधिक आनलाइन विवाद समाधान क्रियाविधि स्थापित या अनुमोदित करने का उपबंध करता है ।

खंड 30 का उपखंड (2) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक प्राधिकृत इकाई को उपखंड (1) के अधीन स्थापित विवाद समाधान क्रियाविधि में भाग लेने का उपबंध करता है ।

खंड 30 के उपखंड (3) इस क्रियाविधि में भाग लेने वालों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित नहीं करने का उपबंध करता है ।

खंड 31, खंड 35 के अधीन नियुक्त "न्यायनिर्णायक अधिकारी" और खंड 36 के अधीन नियुक्त "अभिहित अपील समिति" की परिभाषाओं का उपबंध करता है ।

खंड 32 का उपखंड (1) प्रस्तावित विधायन के अधीन स्वीकृत प्राधिकार या समनुदेशन के किसी निबंधन और शर्तों के भंग के संदर्भ में न्यायनिर्णायक अधिकारी की

शास्तियों का उपबंध करता है ।

खंड 32 का उपखंड (2) केन्द्रीय सरकार न्यायनिर्णायक अधिकारी की सिफारिशों पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् उपाय करने का उपबंध करता है ।

खंड 32 का उपखंड (3) न्यायनिर्णायक अधिकारी को प्रस्तावित विधान की दूसरी अनुसूची के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित करते समय विनिर्दिष्ट कारकों पर उचित ध्यान देने का उपबंध करता है ।

खंड 33 के उपखंड (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी के प्रस्तावित विधान की तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, के उल्लंघन में जांच करने की शक्तियों का उपबंध करता है ।

खंड 33 का उपखंड (2) तीसरी अनुसूची के उपबंधों का दुष्प्रेरण या ऐसे उल्लंघन कारित करने का प्रयास करने, या षडयंत्र कारित करने पर भी लागू होने का उपबंध करता है ।

खंड 34 स्वैच्छिक उपक्रम जो प्रस्तावित विधान की तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिती, प्राधिकरण के निबंधन और शर्तों के भंग करने पर समनुदेशिती या विनिर्दिष्ट उल्लंघन द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, का उपबंध करता है ।

खंड 35 एक या अधिक न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है ।

खंड 36 अभिहित अपील समिति के अधिकारियों की नियुक्ति का उपबंध करता है ।

खंड 37 न्यायनिर्णायक अधिकारी और अभिहित अपील समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

खंड 38 न्यायनिर्णायक अधिकारी और अभिहित अपील समिति के आदेशों को लागू करने का उपबंध करता है ।

खंड 39, खंड 32 के उपखंड (i) के बाबत नामनिर्दिष्ट अपील समिति के आदेशों या खंड 32 के उपखंड (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेशों से अपील भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन गठित दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण में होने का उपबंध करता है ।

खंड 40, खंड 33 के अधीन मामलों के संबंध में अभिहित अपील समिति आदेशों से अपील, किसी सिविल न्यायालय में जो उस पर अधिकारिता रखता हो, में होने का उपबंध करता है ।

खंड 41 किसी सिविल न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे न्यायनिर्णायक अधिकारी अभिहित अपील समिति, केन्द्रीय सरकार या दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण प्रस्तावित विधान के अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है, का उपबंध करता है ।

खंड 42 अपराधों से संबंधित सामान्य उपबंधों का उपबंध करता है ।

खंड 43 प्रस्तावित विधान के अधीन अपराधों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खोज करने की शक्तियों का उपबंध करता है ।

खंड 44, प्राधिकृत अधिकारियों के लिए जानकारी की आपूर्ति का उपबंध करता है ।

खंड 45, केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा सुरक्षा हित प्रदान करती है जिसे प्राधिकृत

इकाई को ऐसी इकाई वित्तीय उधार के लिए प्रदान किया जा सके, का उपबंध करता है ।

खंड 46, वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयानों पर रेडियो उपस्कर, वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वायुयान और यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रवर्ग के जलयान या वाहन के प्रचालन के लिए प्रमाणपत्र के अनुदान का उपबंध करता है ।

खंड 47 अव्यवसायी स्टेशन के अवस्थापन और प्रचालन के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्र की बाबत उपबंध करता है ।

खंड 48, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात न किया जाए, किसी ऐसे उपस्कर के कब्जे या उपयोग का प्रतिषेध जो दूरसंचार को अवरुद्ध करता हो, का उपबंध करता है।

खंड 49, उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन अधिरोपित शास्तियां प्राधिकृत अस्तित्व या समनुदेशिति द्वारा प्रतिकर के संदत्त या किसी फीस के संदाय या देय प्रभार के संबंध में किसी दायित्व के अतिरिक्त होगी और न कि अल्पीकरण में होगी ।

खंड 50, प्रस्तावित विधान भारत के बाहर कारित किए गए अपराधों या उल्लंघन को लागू होने के संबंध में उपबंध करता है ।

खंड 51, सद्भाव में की गई कार्यवाही का संरक्षण करने का उपबंध करता है ।

खंड 52, अन्य विधियों के साथ असंगतता का उपबंध करता है ।

खंड 53, उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान का क्रियान्वयन डिजाइन द्वारा डिजिटल रूप से किया जाएगा ।

खंड 54, उपबंध करता है कि किसी प्राधिकृत इकाई के किसी कर्मचारी को किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिसमें ऐसी प्राधिकृत इकाई पक्षकार नहीं है, विशेष कारण के लिए न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किए गए यथापेक्षित आदेश के सिवाय इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।

खंड 55, उपबंध करता है कि भारत के महाद्वीपीय मग्नतट और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्राधिकार या समानुदेशन और किसी प्राधिकृत अस्तित्व या समानुदेशिति के अधिकार राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 और भारत द्वारा स्वीकृत और समर्थित लागू अंतरराष्ट्रीय विधियों के अधीन होंगे ।

खंड 56, केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है ।

खंड 57, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान की अनुसूचियों का अधिसूचना द्वारा संशोधन करने के लिए शक्ति प्रदत्त करता है ।

खंड 58, कठनाई को दूर करने की शक्ति का उपबंध करता है ।

खंड 59, भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में कतिपय संशोधनों का उपबंध करता है ।

खंड 60, भारतीय तार अधिनियम, 1885, भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम,

1933 और तार यंत्र संबंधी तार (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950 के निसरन का उपबंध करता है। कोई की गई कार्यवाही जिसके अन्तर्गत निरसित विधानों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण या समानुदेशन, कोई आदेश या लंबित या चालू प्रक्रिया शामिल है, प्रस्तावित विधान के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी।

खंड 61, विद्यमान नियमों के चालू रहने का उपबंध करता है। यह कथन करता है कि सभी नियम, आदेश जो बनाए गए हैं या जिनका निरसित अधिनियमों के अधीन बनाया जाना तात्पर्यित है तब तक बने रहेंगे जब तक उनको प्रस्तावित विधान के अधीन अधिक्रान्त नहीं कर दिया जाता है।

खंड 62, कतिपय कृत्यों और अनुदत्त क्षतिपूर्ति के विधिमान्यकरण से व्यवहार करता है।

पहली अनुसूची उन प्रयोजनों की सूची है जिनके लिए प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से स्पैक्ट्रम दिए जा सकेंगे।

दूसरी अनुसूची प्राधिकृत या समनुदेशन के निबंधनों और शर्तों का भंग करने के लिए सिविल शास्तियों का उपबंध करती है।

तीसरी अनुसूची प्रस्तावित विधान के कतिपय उल्लंघनों के लिए सिविल शास्ति का उपबंध करती है।



## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 9, खंड 12 का उपखंड (4) और उपखंड (6), खंड 15 का उपखंड (2), खंड 25 और खंड 33, अन्य बातों के साथ, उपबंध करते हैं कि खंड 24 के अधीन स्थापित डिजीटल भारत निधि में प्राप्त धनराशियों को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और केंद्रीय सरकार इस निमित्त विधि द्वारा संसद् द्वारा किए गए सम्यक् उपायोजन के पश्चात् डिजीटल भारत निधि में समय-समय पर जमा किए गए ऐसे आगतों का खंड में सूचीबद्ध किसी या सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनन्य रूप से उपयोग कर सकेगी ।

## प्रत्यायोजित विधान के बारे में जापन

विधेयक का खंड 56 केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, अधिनियम के उपबंधों से संगत, निम्नलिखित के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करने के लिए है—

(क) खंड 3 के उपखंड (1) के अधीन प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत फीस या प्रभार भी हैं ;

(ख) खंड 3 के उपखंड (3) के अधीन प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए छूट की रीति ;

(ग) मूल प्राधिकृत इकाई को लागू निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत फीस और प्रभार भी हैं, जो विलयन, निर्विलयन, अर्जन या अन्य प्रकार की पुनर्संरचना के अनुसरण में उभरती है ।

(घ) खंड 3 के उपखंड (6) के अधीन प्रवर्जन के लिए निबंधन और शर्तें ;

(ङ) खंड 3 के उपखंड (7) के अधीन दूरसंचार सेवाओं की प्राधिकृत इकाई द्वारा उपयोग की जाने वाली सत्यापन योग्य बायोमैट्रिक आधारित पहचान ;

(च) खंड 3 के उपखंड (8) के अधीन प्राधिकृत इकाइयों द्वारा उपयोग के लिए दूरसंचार पहचानकर्ताओं को आबंटन हेतु निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत फीस या प्रभार भी हैं ;

(छ) खंड 4 के उपखंड (3) के अधीन स्पेक्ट्रम के समनुदेशन के लिए निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत आवृत्ति सीमा, मूल्य निर्धारण, मूल्य, फीस और प्रभार के लिए पद्धति, संदाय तंत्र, अवधि और प्रक्रिया भी हैं;

(ज) खंड 4 के उपखंड (6) के अधीन स्पेक्ट्रम के समनुदेशन के लिए छूटों की रीति ;

(झ) खंड 5 के अधीन रि-फार्मिंग और सुव्यवस्थीकरण के लिए निबंधन और शर्तें ;

(ञ) खंड 6 के अधीन निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत यथाविहित लागू फीस और प्रभार सम्मिलित हैं और कोई अन्य सुसंगत शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए किसी लोचनीय, स्वतंत्र और प्रौद्योगिकीय रूप से तटस्थ रीति में स्पेक्ट्रम का उपयोग है ।

(ट) खंड 7 के उपखंड (1) के अधीन स्पेक्ट्रम के अनुकूलतम उपयोग के लिए निबंधन और शर्तें ;

(ठ) खंड 7 के उपखंड (2) के अधीन अपर्याप्त कारणों से अनुपयोजित स्पेक्ट्रम की अवधि तथा स्पेक्ट्रम उपयोग से संबंधित और निबंधन तथा शर्तें ;

(ड) खंड 8 के उपखंड (2) के अधीन समनुदेशित स्पेक्ट्रम को बांटने, व्यापार करने, पट्टे पर देने और अभ्यर्पित करने की निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत लागू फीस या प्रभार भी हैं ;

(ढ) खंड 11 के उपखंड (3) के अधीन लोक संपत्ति के दूरसंचार नेटवर्क में मार्ग अधिकार के लिए अनुज्ञा देने के लिए समय-सीमा ; और प्रशासनिक व्ययों के

लिए रकम तथा मार्ग अधिकार के लिए प्रतिकर ;

(ण) खंड 12 के उपखंड (5) के अधीन किसी प्रसुविधा प्रदाता द्वारा दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्रवेश, सर्वेक्षण, प्रचालन, अनुरक्षण, मरम्मत, प्रतिस्थापित क्रिया किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत नोटिस की अवधि, नोटिस जारी करने की रीति, संपत्ति के स्वामी या अधिभोगी द्वारा आक्षेपों को शासित करने के लिए ढांचा, वह रीति जिसमें ऐसे आक्षेपों का समाधान किया जाएगा और नुकसान के लिए संदेय प्रतिकर से संबंधित विषय ;

(त) खंड 12 के उपखंड (6) के अधीन निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत मार्ग अधिकार के लिए प्रभार भी हैं और संपत्ति को नुकसान के लिए प्रतिकर ;

(थ) खंड 15 के उपखंड (2) के अधीन दूरसंचार नेटवर्क, प्रसुविधा प्रदाताओं को खुली पहुंच के आधार पर उपलब्ध कराने के लिए निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत फीस और प्रभार भी हैं ;

(द) खंड 17 के उपखंड (1) के अधीन पूर्व सूचना देने के लिए प्रक्रिया और रीति ;

(ध) खंड 17 के उपखंड (2) के अधीन दूरसंचार नेटवर्क के ब्यौरों के साथ सूचना का उत्तर देने के लिए समयसीमा और सुविधा प्रदाता द्वारा किए जाने वाले पूर्वावधानी उपाय ;

(न) खंड 20 के उपखंड (2) के अधीन लोकापात या लोक सुरक्षा के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय ;

(प) खंड 20 के उपखंड (4) के अधीन लोकापात या लोक सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने हेतु रीति ;

(फ) खंड 22 के उपखंड (1) के अधीन दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं को संरक्षित करने और उनकी साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपाय ;

(ब) खंड 22 के उपखंड (4) के अधीन ऐसे महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के कार्यान्वयन के लिए मानक, सुरक्षा उपाय, उन्नयन अपेक्षाएं और कार्यान्वित की जाने वाली प्रक्रियाएं ;

(भ) खंड 26 के अधीन डिजिटल भारत निधि के प्रशासन की रीति ;

(म) खंड 27 के अधीन विनियामक सैंड बाक्स के लिए रीति और अवधि ;

(य) खंड 28 के उपखंड (2) के अधीन उपयोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपाय ;

(यक) खंड 28 के उपखंड (3) के अधीन दूरसंचार सेवाओं से संबंधित किसी शिकायत को रजिस्टर करने की रीति और ऐसी शिकायतों का समाधान ;

(यख) खंड 30 के उपखंड (2) के अधीन विवाद समाधान क्रियाविधि में भागीदारी के लिए निबंधन और शर्तें ;

(यग) खंड 33 के उपखंड (1) के अधीन शिकायत का प्ररूप, रीति और संलग्न की जाने वाली फीस ;

(यघ) खंड 35 के उपखंड (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच

की रीति ;

(यड) खंड 36 के उपखंड (2) के अधीन न्यायनिर्दिष्ट अपील समिति के समक्ष अपील फाइल करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(यच) खंड 37 के उपखंड (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी और न्याय निर्दिष्ट अपील समिति के प्रति कृत्यकरण के लिए प्रौद्योगिकी-विधिक उपाय ;

(यछ) खंड 45 के अधीन सुरक्षा हित के निबंधन और शर्तें ;

(यज) खंड 46 के अधीन मांगपत्र अनुदत्त करने के लिए निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत लागू फीस और प्रभार भी हैं; और

(यझ) खंड 47 के अधीन प्रमाणीकरण की रीति, अर्हता और निबंधन तथा शर्तें, जिनके अंतर्गत अप्रवीण स्टेशन प्रचालक की परीक्षा के लिए फीस और प्रभार भी हैं ।

(2) वे विषय जिनके संबंध में उक्त नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए स्वयं प्रस्तावित विधेयक में उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्यांक 24) से उद्धरण

\* \* \* \* \*

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

\* \* \* \* \*

(ड) “अनुज्ञप्तिधारी” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विनिर्दिष्ट सार्वजनिक दूर-संचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त है ;

1885 का 13

(डक) “अनुज्ञापक” से केन्द्रीय सरकार या तार प्राधिकरण अभिप्रेत है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रदान करता है ;

1885 का 13

\* \* \* \* \*

(ट) “दूर संचार सेवा” से किसी भांति की ऐसी सेवा (जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रॉनिक डाक, वाक डाक, आंकड़े सेवाएं, श्रव्य टेक्स सेवाएं, वीडियो टेक्स सेवाएं, रेडियो पेजिंग और सेलुलर चल टेलीफोन सेवाएं हैं) अभिप्रेत है जो उपभोक्ताओं को चिट्ठों, प्रतीकों, लेखन, बिंबों और ध्वनियों के किसी पारेषण या अभिग्रहण अथवा तार, रेडियो, दृश्य या अन्य वैद्युत चुम्बकीय साधनों द्वारा किसी प्रकार की आसूचना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है किन्तु इसके अन्तर्गत प्रसारण सेवाएं नहीं हैं :

परंतु केन्द्रीय सरकार अन्य सेवा को जिसके अन्तर्गत प्रसारण सेवाएं भी हैं, दूर-संचार सेवा होना अधिसूचित कर सकेगी ।

1885 का 13

1933 का 17

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय तार अधिनियम, 1885 में या भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो उन अधिनियमों में हैं ।

\* \* \* \* \*

4. प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें दूर-संचार, उद्योग, वित्त, लेखाकर्म, विधि, प्रबंध या उपभोक्ता मामलों का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव है :

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

परंतु कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है, या रहा है, सदस्य के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा जब ऐसे व्यक्ति ने भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव का पद या अपर सचिव और सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद तीन वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए धारण किया हो ।

\* \* \* \* \*

## अध्याय 3

## प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

प्राधिकरण के कृत्य ।

11. (1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण के कृत्य निम्नलिखित होंगे,—

(क) निम्नलिखित विषयों के संबंध में स्वप्रेरणा से या अनुज्ञापक के अनुरोध पर सिफारिशें करना, अर्थात् :—

(i) नए सेवा प्रदाता के प्रवेश की आवश्यकता और उसका समय निर्धारण ;

(ii) सेवा प्रदाता की अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें ;

(iii) अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अननुपालन के लिए अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण ;

(iv) दूर-संचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतियोगिता को सुकर बनाने और दक्षता वृद्धि के लिए उपाय करना जिससे कि ऐसी सेवाओं की अभिवृद्धि को सुकर बनाया जा सके ;

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में प्रौद्योगिक सुधार ;

(vi) नेटवर्क में उपयोग किए गए उपस्कर के निरीक्षण के पश्चात् सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपस्कर की किस्म ;

(vii) दूर-संचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए और दूर-संचार उद्योग के संबंध में साधारणतया अन्य विषय के लिए उपाय ;

(viii) उपलब्ध परिदृश्य का दक्षतापूर्ण प्रबंधन ;

(ख) निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करना, अर्थात् :—

(i) अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना ;

(ii) दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारंभ से पूर्व प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी सेवा प्रदाताओं के बीच अन्तःसम्बद्धता के निबंधन और शर्तें नियत करना ;

(iii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावी अन्तःसंबंध सुनिश्चित करना ;

(iv) सेवा प्रदाताओं के बीच दूर-संचार सेवाएं उपलब्ध कराने से व्युत्पन्न उसकी आमदनी को बांटने संबंधी व्यवस्था का विनियमन करना ;

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की क्वालिटी के मानक अधिकथित करना और सेवा की क्वालिटी सुनिश्चित करना तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करना जिससे कि दूर-संचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किया जा सके ;

(vi) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूर-संचार के स्थानीय और लम्बी दूरी वाले सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समयावधि अधिकृत करना और सुनिश्चित करना ;

(vii) अन्तःसम्बन्धित करारों का और सभी ऐसे अन्य विषयों के ऐसे रजिस्टर रखना जो विनियमों में उपबंधित किए जाएं ;

(viii) खंड (vii) के अधीन रखे गए रजिस्टर को ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन पर जो विनियमों में उपबंधित की जाएं, जनता के किसी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए खुला रखना ;

(ix) सर्वव्यापी सेवा बाध्यताओं का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना ;

(ग) ऐसी सेवाओं के संबंध में फीस और अन्य प्रभार ऐसी दरों पर उद्गृहीत करना जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए ;

(घ) ऐस अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जिनके अन्तर्गत ऐसे प्रशासनिक और वित्तीय कृत्य भी हैं, जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं या जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों :

\* \* \* \* \*

परंतु यह भी कि यदि केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण की उस सिफारिश पर विचार करने पर प्रथमदृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ऐसी सिफारिश स्वीकार नहीं की जा सकती या उसमें उपांतरण आवश्यक हैं, तो वह सिफारिश को प्राधिकरण को वापस पुनर्विचार के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी और प्राधिकरण ऐसे निर्देश की प्राप्ति से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिश केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित कर सकेगा और सिफारिश के, यदि कोई हो, प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार अंतिम विनिश्चय करेगी ।]

1885 का 13

(2) भारतीय तार अधिनियम, 1885 में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, समय-समय पर, आदेश द्वारा, उन दरों को राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगा, जिन पर भारत में और भारत के बाहर दूर-संचार सेवाएं इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनके अंतर्गत वे दरें भी हैं, जिन पर संदेशों को भारत के बाहर किसी देश को पारेषित किया जाएगा :

परन्तु प्राधिकरण एक समान दूर-संचार सेवाओं की बाबत भिन्न-भिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित कर सकेगा और जहां पूर्वोक्त रूप में भिन्न-भिन्न दरें नियत की जाती हैं वहां प्राधिकरण उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा ।

\* \* \* \* \*

#### अध्याय 4

### अपील अधिकरण

14. केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा,—

(क) (i) अनुज्ञापक या किसी अनुज्ञप्तिधारी के बीच ;

\* \* \* \* \*

अपील अधिकरण  
की स्थापना ।

(ग) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7ख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तार प्राधिकारी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विवाद ; 1885 का 13

\* \* \* \* \*

कतिपय विधियों  
का लागू होना ।

38. इस अधिनियम के उपबंध, भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और विशिष्टतया इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसी अधिकारिता, शक्तियों और कृत्यों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका प्रयोग या पालन ऐसे प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा किया जाना अपेक्षित है । 1885 का 13  
1933 का 17

\* \* \* \* \*